SACHCHA RAHI • ISSN 2582-4007 • VOL 22 • ISSUE 06 • AUGUST 2023

हिन्दी मासिक

अगस्त 2023

सच्चा राही

लखनऊ

सामाजिक एवं साहित्यिक

यू.सी.सी. देश के लिए हानिकारक

भारत एक बहुलवादी समाज वाला देश है जिस में विभिन्न धर्मों के मानने वाले विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े लोग रहते हैं, अनेकता में एकता ही इसकी वास्तविक सुन्दरता और पहचान है। ऐसे देश के लिए कॉमन सिविल कोड (यू.सी.सी.) बिल्कुल उचित नहीं।

हज़रत मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी
(अध्यक्ष आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड)

एक प्रति ₹ 30/=

वार्षिक ₹ 300/=

सरपरस्त
हज़रत मौलाना सै0 बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी
नाज़िम नदवतुल उलमा, लखनऊ

सम्पादक
मु0 गुफ़रान नदवी
उप सम्पादक
जमाल अहमद नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
0522–2740406 (8:00 am to 1:00 pm)
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
http://sachcha-rahi.nadwa.in/
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक) 50 यु.एस. डॉलर	

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
SACCHA RAHI

SACCHA RAHI
A/c. No. 10863759642
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.

कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नम्बर अथवा ई–मेल पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक — लखनऊ
SACHCHA RAHI.ISSN 2582-4007
अगस्त 2023 वर्ष 22 अंक 06

शरीअ़त एप्लीकेशन एक्ट 1937

यह एक्ट एक महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम पर आधारित था जो भारत में मुसलमानों के पर्सनल लॉ को सुरक्षा प्रदान करता था, देश के आज़ाद होने के बाद मौलिक अधिकारों में ''आस्था और अन्तरात्मा की आज़ादी'' और हर धर्म वालों के लिए अपने धर्म पर अमल की आज़ादी के अनुच्छेद रखे गये, यह अनुच्छेद मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा की जमानत देते हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित कानून कुरआन और हदीस पर आधारित है, यदि उनमें हस्तक्षेप किया गया तो यह धर्म पर अमल करने में रुकावट डालने के समान होगा।

(मौलाना क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी रह0)

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपने खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक मोहम्मद ताहा अतहर द्वारा काकोरी आफसेट प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर सच्चा राही नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Composing by: Qamaruzzama-8318047804

विषय एक दृष्टि में

क़ुर्आन की शिक्षा	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	मौलाना हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0	07
स्वतंत्रता दिवस और हम	मुहम्मद गुफ़रान नदवी	08
सामाजिक जीवन में खुदा के ख़ौफ़	मौलाना मुहम्मद राबे हसनी नदवी रह0	10
इस्लामी अक़ीदे	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	13
जंगे आज़ादी में उलमा–ए–किराम	हज़रत मौ0 सै0 अबुल हसन अली नदवी	15
भारत के अतीत में मुस्लिम	सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान	17
मणिपुर में शान्ति स्थापना	नूरुल्लाह जावेद, कोलकाता	19
देश की आज़ादी में मुस्लिम	मुहम्मद इब्राहीम सज्जाद तैमी	25
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी	27
घरेलू मसायल	मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन संभली रह0	29
उसका जवाब था, नमाज़ तो	इं0 जावेद इक़बाल	30
युनिफार्म सिविल कोड	पवन कुमार	32
विनम्रता और त्याग	नज़्मुस्साक़िब अब्बासी नदवी	33
ख़ुदारा क़ुर्आन को समझ कर पढ़िए	मु0 सुजूद अल अज़ीज़ क़ासमी	35
आज़ादी की 75 बातें	इदारा	37
कब्ज़ से चाहिए छुटकारा तो	डॉ0 पूनम तिवारी	40
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	अबू मोहम्मद आमिर नदवी	41
अहले ख़ैर हज़रात की खिदमत में	इदारा	42

क़ुरआन की शिक्षा

मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़ई हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-हूदः-

अनुवादः—

और ऐ मेरी क़ौम! मैं इस पर तुम से कोई धन नहीं मांगता, मेरा बदल तो अल्लाह ही के ज़िम्मे है और जो ईमान ला चुके हैं मैं उनको धित्कार नहीं सकता, यह अपने पालनहार से मिलने वाले हैं लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम बड़े अज्ञानी लोग हो(29) और ऐ मेरी क़ौम अगर मैं तुम्हें धित्कार दूँ तो कौन मुझे अल्लाह से बचाएगा, क्या तुम विचार नहीं करते[1](30) और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं और मैं ढ़के—छिपे से भी अवगत नही और मैं यह भी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ[2] और न मैं उन लोगों के बारे में जो तुम्हारी निगाहों में हीन हैं यह कह सकता हूँ कि अल्लाह उनको कभी भलाई देगा ही नहीं, उनके मन में जो भी है अल्लाह उसको ख़ूब जानता है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो निश्चित रूप से मैं ही अन्याय करने वाला हूँ[3](31) वे बोले ऐ नूह! तुमने हमसे बहस कर ली और बहुत बहस की अब अगर तुम सच्चे हो तो जिसकी हमें धमकी देते हो वह हमारे सामने ले आओ(32) उन्होंने कहा उसको तो अल्लाह ही अगर चाहता है लाता है और तुम उसको बेबस नहीं कर सकते(33) और अगर मैं नसीहत करना भी चाहूँ तो मेरी नसीहत तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती, अगर अल्लाह ही ने तुम्हें गुमराह करने का फ़ैसला कर लिया हो, वही तुम सबका पालनहार है और उसी की ओर तुम सबको लौट कर जाना है(34) क्या वे कहते हैं कि उन्होने इसको गढ़ लिया है? कह दीजिए कि अगर मैंने गढ़ भी लिया है तो मेरा पाप मेरे ज़िम्मे हैं और तुम जो अपराध करते जाते हो मेरा उससे कुछ भी संबंध नहीं[4](35) और नूह के पास वह्‌य आई कि जो ईमान ला चुके उनके अलावा तुम्हारी क़ौम में हरगिज़ अब कोई ईमान न लाएगा तो तुम उनकी करतूतों पर ग़म मत करो(36) और हमारे सामने और हमारे आदेश से नाव बनाओ और ज़ालिमों के संबंध में हमसे बात मत करना वे डूब कर रहेंगे[5](37) और वे नाव बनाने लगे और जब भी उनकी क़ौम के सम्मानित लोग उनके पास से गुज़रते वे उनका मज़ाक उड़ाते, वे बोले कि अगर तुम हमारा मज़ाक उड़ाते हो तो (एक समय आयेगा) जैसे तुम मज़ाक उड़ा रहे हो हम तुम्हारा मज़ाक उड़ायेंगे[6](38) बस जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर अज़ाब आता है जो उसको अपमानित करके छोड़ेगा और किस पर हमेशा का अज़ाब उतरता है(39) यहाँ तक कि जब हमारा आदेश आ पहुँचा और ज़मीन उबल पड़ी हमने कहा कि उस नाव में हर तरह के जोड़ों में से दो—दो को सवार कर लो और अपने घर वालों को भी सिवाय उनके जिन पर आदेश लागू हो चुका और ईमान वालों को भी, और उनके साथ इक्का—दुक्का लोग ही ईमान लाए थे(40) और उन्होंने कहा कि उसमें सवार हो जाओ उसका चलना और उसका ठहरना अल्लाह ही के नाम से है, बेशक मेरा रब बड़ा माफ़ करने वाला बहुत ही

दयालु है[7](41) और वह नाव उन सब को ले कर पहाड़ की तरह मौज में चल रही थी और नूह ने अपने बेटे को आवाज़ दी जब कि वह एक किनारे पर था कि ऐ मेरे बेटे! हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ शामिल न हो(42) वह बोला कि मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह लिए लेता हूँ वह मुझे पानी से बचा लेगा, उन्होंने कहा कि अल्लाह के आदेश से आज कोई बचने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वह दया करे, बस लहर दोनों के बीच आ गई तो वह डुबो दिये जाने वालों में रह गया(43) और आदेश आया कि ऐ ज़मीन! अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान! थम जा और पानी घट गया और काम पूरा हुआ और वह नाव जूदी[8] (पहाड़) पर आ लगी और कह दिया गया कि दूर हुए ज़ालिम (अल्लाह की रहमत से) (44) और नूह ने अपने पालनहार को पुकारा तो कहा ऐ मेरे पालनहार! मेरा बेटा मेरे घर ही का है और तेरा वादा सच्चा है और तू सब इंसाफ़ करने वालों से बढ़ कर इंसाफ़ करने वाला है(45)।

तफ़्सीर (व्याख्या):–

1. ईमान लाने वाले मामूली व्यवसाय वाले लोग थे, मुश्रिक लोग चाहते थे कि उनको अलग कर दिया जाए, उसी का जवाब है कि वे अल्लाह वाले लोग हैं, मैं उनको धित्कार दूँ तो उस पर मेरी पकड़ होगी फिर कौन मुझे बचाएगा।

2. यह उसी अज्ञानी विचार का खण्डन है, अल्लाह के किसी पैग़म्बर या वली के पास हर तहर के अधिकार होने चाहिए, उसे ग़ैब की सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए या उसे फरिश्ता होना चाहिए, हज़रत नूह ने साफ़–साफ़ इन धारणाओं का खण्डन कर दिया और विभिन्न स्थानों पर पैग़म्बरों की ज़बानी बात साफ़ कर दी गई कि उनका काम सही बात बताना और सत्यमार्ग पर चलाना है।

3. ईमान वालों के बारे में मुश्रिक लोग कहते थे कि यह सच्चे दिल से ईमान नहीं लाए, इसका जवाब है कि उनके दिल को तो अल्लाह ही जानता है, मैं कैसे यह बात कह दूँ।

4. इन घटनाओं को सुन कर मक्के के मुश्रिक कहते थे कि सब गढ़ी हुई चीजें हैं, इस पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़बान से यह कहा जा रहा है कि तुम जो कह रहे और कर रहे हो वह तुम भुगतोगे और मेरी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है।

5. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम साढ़े नौ सौ वर्ष तक समझाते रहे, फिर अल्लाह का आदेश आया कि यह मानने वाले नहीं, अब तुम हमारी वह्य के अनुसार नाव तैयार करो, जल्द ही सब बाढ़ में डुबो दिये जाएंगे, वह नाव क्या थी पानी का पूरा जहाज़ था।

6. तुम यह सोच कर हँसते हो कि जहाज़ का क्या होगा, यहां न नदी न समुद्र और हम इसलिए हंसते हैं कि अल्लाह के आदेश से जब हर ओर पानी ही पानी होगा तो तुम्हारा क्या होगा।

7. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को तसल्ली दी कि यह जहाज़ अल्लाह के आदेश के अधीन है, डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह तआला इसकी सुरक्षा करेंगे।

8. जूदी पहाड़ी क्षेत्र अरारात की उस चोटी का नाम है जो उत्तरी इराक़ में स्थित है, पहाड़ियों का यह श्रृंखला कुर्दिस्तान से आरमीनिया तक फैला हुआ है, ज़मीन से इसकी ऊँचाई तीन हज़ार फिट है।

प्यारे नबी की प्यारी बातें

मौ0 हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0

माँ -बाप के साथ अच्छे व्यवहार का बयान

माँ का हक़ सबसे ज़्यादाः—

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 फरमाते हैं कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और पूछा ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल0! मेरे अच्छे व्यवहार का सबसे ज़्यादा हक लोगों में कौन रखता है? आप सल्ल0 ने फरमाया— तुम्हारी माँ। उसने कहा— फिर कौन? आप सल्ल0 ने फरमाया— तुम्हारी माँ, उसने कहाः फिर कौन? आप सल्ल0 ने फरमाया— तुम्हारी माँ। फिर उसने पूछा— उसके बाद कौन? आप सल्ल0 ने फरमाया— तुम्हारे बाप! (बुखारी व मुस्लिम)

माँ—बाप के अधिकारः—

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस रज़ि0 बयान करते हैं कि एक आदमी हुजूर सल्ल0 के पास आया और कहा कि आप से हिज़रत और जिहाद पर बैअत करता हूँ, और अल्लाह तआला से अज्र (सवाब) का उम्मीदवार हूँ, आप सल्ल0 ने फरमायाः तुम्हारे माँ—बाप में से कोई ज़िन्दा हैं? उस आदमी ने जवाब दिया— हाँ, बल्कि दोनों ज़िन्दा हैं, आप सल्ल0 ने फरमायाः क्या तुम अल्लाह तआला से अज्र चाहते हो, उस आदमी ने कहा हाँ, आप सल्ल0 ने कहा, अपने माँ—बाप के पास जाओ और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

माँ—बाप की बात मानने में जन्नतः—

हज़रत अबू हुरैरः बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमायाः बरबाद हो, बरबाद हो। लोगों ने पूछा ऐ अल्लाह के नबी! कौन? आप सल्ल0 ने फरमायाः जिसने अपने माँ—बाप को बुढापे में पाया, एक को या दोनों को और फिर वह जन्नत में दाखिल न हो सका। (मुस्लिम)

बाप का हक़ः—

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 बयान करते हैं कि नबी सल्ल0 ने फरमायाः कोई बेटा अपने बाप का हक अदा ही नहीं कर सकता है, अलावा इसके कि बाप गुलाम हो और उसको खरीद कर आज़ाद कर दे।

(मुस्लिम)

बाप की फरमाँबरदारीः—

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि0 से रिवायत है कि मेरी एक बीवी थी, मैं उसे बहुत चाहता था, लेकिन हज़रत उमर रज़ि0 उसको नापसन्द फरमाते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इसको तलाक़ दे दो, मैंने तलाक़ देने से इन्कार कर दिया, मेरे इन्कार करने पर हज़रत उमर रज़ि0 अल्लाह के रसूल सल्ल0 के पास आए और आप सल्ल0 से इसका ज़िक्र किया, आप सल्ल0 ने फरमाया कि तुम तलाक़ दे दो। (अबू दाऊद व तिर्मिज़ी)

माँ—बाप की मौत के बाद उनके लिए क्षमादान और बख़्शिश की दुआः—

हज़रत मालिक बिन रबीआ साइदी रज़ि0 से रिवायत है कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्ल0 के पास थे कि इतने में बनू सलमा का एक आदमी आया और कहा— ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल0! क्या कोई ऐसी नेकी है जिसको मैं अपने माँ—बाप की मौत के बाद भी (उनके हक़ में) करता रहूँ? आप सल्ल0 ने फरमायाः उनके लिए अल्लाह से रहमत और बख़्शिश की दुआ करो। उनके वादों को पूरा करो और उनके बाद उनके उन रिश्तेदारों के साथ सुलूक करो जिनका रिश्ता माँ—बाप ही की वजह से हो, और उनके दोस्तों का सम्मान करो। (अबूदाऊद)

❖❖❖

सम्पादकीय

स्वतंत्रता दिवस और हम

मुहम्मद गुफ़रान नदवी

सच्चा राही का यह अंक जिस समय आपके हाथ में पहुँचेगा उस समय आप स्वतंत्र भारत वर्ष की 76वीं वर्ष गाँठ मना रहे होंगे, आज से 75 वर्ष पहले हमने 15 अगस्त 1947 ई0 को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, देश के चारों कोनों में हर्ष और उल्लास का माहौल था, यद्यपि हमारा देश उस समय बहुत निर्धन था, कपड़ों से, मकानों से, रहन सहन से, हर चीज़ से निर्धन्ता और ग़रीबी टपकती और प्रकट होती थी, मिट्टी के कच्चे मकान और फूस के छप्पर, बदन पर फटे हुए कपड़े, दरवाज़े लकड़ी के बजाए बांस के बने हुए टट्टर, यह बातें सुनी सुनाई नहीं बल्कि आँखों देखी, इस सबके बावजूद प्यार, मुहब्बत, भाईचारे का माहौल, हर एक, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक, पूरा गांव एक कुम्बा मालूम होता था, जाति और धर्म के अन्तर बिना बच्चों को यह घरेलू शिक्षा दी जाती थी कि यह तुम्हारे दादा हैं, यह दादी हैं, यह चाचा हैं यह चाची हैं। इसी एकता और भाईचारे का परिणाम था कि हम भारत वासियों ने एक जुट हो कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जानों का बलिदान दिया, दुनिया की एक बड़ी ताक़त ब्रिटिश साम्राज्य जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उसको प्राजित किया। और भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में आई निःसंकोच समस्त भारतवासी हिन्दू और मुस्लिम सबने काँधे से काँधा मिला कर जंगे आज़ादी लड़ी कोई नहीं कह सकता कि कोई एक दूसरे से पीछे है, सब का उद्देश्य एक था सबका ध्येय एक था कि देश आज़ाद हो और हम सब मिलजुल कर देश की शासन व्यवस्था करें, देश की उन्नति और विकास के साथ शान्ति और अम्न का माहौल बने, जान व माल, इज़्ज़त और आबरू की सुरक्षा हो, परन्तु ऐसा न हो सका, जातिवाद और धर्मवाद की जंग छिड़ी जिसकी वजह से नफ़रत और घृणा का माहौल बना और आतंकवाद का बोल बाला हुआ। 15 अगस्त 1947 ई0 को देश आज़ाद हुआ और 30 जनवरी 1948 ई0 को राष्ट्र पिता मोहन दास कर्मचन्द गाँधी की हत्या कर दी गई जिनके नेतृत्व में स्वतंत्रता की जंग लड़ी गई और देश आज़ाद हुआ, उनके अहिंसा आन्दोलन को हमने हिंसा आन्दोलन से बदल दिया, उसी समय समझने वालों ने समझ लिया कि देश ग़लत रुख़ पर चला गया। वह दिन और आज का दिन, दंगों की कमी नहीं, यदि यह कहा जाए कि 75 वर्षों में छोटे बड़े 75 हज़ार दंगे हुए तो ग़लत न होगा, आज़ादी के बाद भयावह और भीषण दंगों में रावणकीला, जमशेदपुर जैसे दंगे जिसमें इन्सानों को आग की उन भट्टियों में डाला गया जिसमें लोहा गल कर पानी हो जाता है, उसी ज़माने में पंडित जवाहर लाल नेहरू लखनऊ आये और एक जनसभा में बेगम हज़रत महल पार्क में सम्बोधित करते हुए कहा कि रावणकीला दंगों की बरबर्ता और हैवानियत से हमारा सर शर्म से झुक गया। इसी प्रकार भागलपुर का भीषण दंगा जिसमें सैकड़ों लोगों की हत्या करके एक खेत में दफ़ना दिया गया और लाशों को छुपाने के लिए गोभी की खेती की गई, दंगों के सीरियल में न भुलाया जाने वाला दंगा हाशिमपूरा और मलयाना 1987 का दंगा है, जहाँ 50 नवजवानों को सुरक्षा के नाम पर ले जाया गया और नदी के पुल पर उनकी हत्या कर दी गई और लाशों को पानी में बहा दिया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास की सूची में ''ईदगाह मुरादाबाद'' की घटना भी है। 13 अगस्त 1980 को दो दिन बाद भूत पूर्व प्रधानमंत्री इन्द्रा गाँधी ने मुरादाबाद की घटना का उल्लेख किया था, बाद में मुरादाबाद के हालात का जाएज़ा

लेने वहाँ गई थीं, उत्पीड़तों ने धाड़ें मार मार कर अपनी विप्ताएं सुनाई थीं, लेकिन वह उन्हें न्याय नहीं दिला सकीं, श्रीमती इन्द्रा गाँधी ने अपने भाषण में कहा था कि ''मुरादाबाद की घटना ने हमारे देश को चोट पहुँचाई है'' चुँकि मुरादाबादी घटना को बीते 43 वर्ष हो गये इसलिए बहुत से लोगों के ज़ेहन में इसका विवरण नहीं होगा संक्षेप में इसका विवरण प्रसिद्ध पत्रकार मासूम मुरादाबादी की ज़बान से सुन लीजिए, वह कहते हैं कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि 13 अगस्त 1980 ई0 को ईदुल फित्र की नमाज़ के समय मुरादाबाद की ईदगाह में जो कुछ हुआ वह उपद्रव नहीं था बल्कि मुसलमानों के विरुद्ध पुलिस एक्शन था जिसकी वजह से सैकड़ों बेगुनाहों की जानें गईं उसके बाद मुरादाबाद के बाशिन्दों को महीनों कर्फ्यु का अज़ाब झेलना पड़ा, यह घटनायें आज़ाद हिन्दुस्तान के इतिहास का ब्लैक चैप्टर हैं जिसकी यादें आज भी हज़ारों इन्सानों के वजूद को लरज़ा देती हैं, ऐसा जुल्मोसितम शायद कभी हुआ हो।

स्वतंत्र भारत का इतिहास अधूरा रहेगा यदि गुजरात 2002 ई0 के दंगों का उल्लेख न हो, जिसमें दो हज़ार इन्सानों का नरसंहार हुआ, बहुत से लोग ज़िन्दा जला दिये गये, कितनी दुकानें लूटी और जलाई गईं, महिलाओं की इज़्ज़तें लूटी गईं, इन अपराधों और दुष्कर्मों से प्रभावित हो कर भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंन्द्र मोदी से कहा कि आपने राजधर्म नहीं निभाया यह बहुत ही दुखदायी बातें हैं जो दिल पर पत्थर रख कर कही गईं हैं। मानव जब दानव हो जाए तो इन्सानियत कहाँ रहेगी, और अपना मुँह छुपा कर कहाँ जाएगी हम अपने देश को जंगल राज न बनाएं, यदि इन्सानियत जीवित है तो देश जीवित है, यदि इन्सानियत मुर्दा होती है तो देश भी मुर्दा हो जाएगा। हमें हर क़ीमत पर देश को ज़िन्दा रखना है। हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा भी नहीं था कि देश की जिस धरती को हम अपने खून से सींच रहे हैं उस धरती पर इन्सानियत शर्मसार होगी और हमारी कुरबानी और बलिदान का अपमान होगा। श्रीमती इन्द्रा गाँधी के शासन काल में गाँधी शताब्दी मनाई गयी इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सरहदी गाँधी ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खाँ को आमंत्रित किया गया, संयोगवश उनकी मौजूदगी में अहमदाबाद, गुजरात में दंगे शुरु हो गये वह बहुत प्रभावित हुए और गाँधी जी के अनुसरण में खाँ साहब ने खाना, खाना बन्द कर दिया, बड़ी मुश्किलों से खाने पर राज़ी हुए, इस शर्त के साथ कि दंगा ग्रस्त स्थानों पर हम जाएंगे, पूरे देश में गाँधी शताब्दी मनाई गई थी, उस अवसर पर ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार लखनऊ भी आये थे और एक बड़ी जनसभा को सम्बोधित किया था और कहा था कि आपने हमें क्यों बुलाया था आज़ादी के पचास साल बाद भी भले और शरीफ़ इन्सानों वाली ज़िन्दगी आप नहीं गुज़ार रहे हैं, गाँधी जी शान्ति और अहिंसा के प्रचारक थे, वह अत्याचार और हिन्सा से सदैव दूर रहे। अपने इन्हीं सिद्धान्तों के फलस्वरूप गाँधी जी ने सफलता प्राप्त की और पूरी दुनिया में भारत वर्ष का नाम रोशन किया। हमने उनके दिखाए हुए रास्ते को नज़र अन्दाज़ किया और उनके पैग़ाम को भुला दिया।

भारत वर्ष एक विशाल देश है जहाँ नाना प्रकार के धर्म और जाति वाले हैं इसी अनेकता और भिन्नता से देश की शोभा और सुन्दरता है, हमारा देश एक चमन और फुलवारी के समान है जहाँ जूही, चमेली, बेला, मोंगरा, गेंदा और हरसिंगार जैसे फूल हैं जिनकी महक से पूरी फुलवारी सुगन्धित है, और शोभनीय है। यदि किसी की सोच यह है कि एक ही रंग का फूल चाहिए तो यह सोच मानवता के अनुकूल नहीं है, देश का वास्तविक विकास और उन्नति देश वासियों का आपसी भाई–चारा और प्रेम भावना पर निर्भर है।

न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिन्दुस्तां वालो।
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।।

सामाजिक जीवन में खुदा के ख़ौफ़ की कमी

मौलाना मुहम्मद राबे हसनी नदवी रह0

सामाजिक जीवन को संवारने में तीन गुणों का बड़ा महत्व है। (1) कर्तव्य (2) हमदर्दी (3) दियानत। अगर इन तीनों का ध्यान न रखा जाये तो सामुदायिक जीवन परेशानी और मुसीबत की आमाजगाह बन जाता है। इस्लाम में इन तीनों बातों की तरफ़ ध्यान दिलाया गया है और ताकीद की गयी है। और हुजूर सल्ल0 और सहाब–ए–किराम में यह तीनों बातें बेहतर ढंग से पायी जाती थीं और उनकी बुनियाद अल्लाह का ख़ौफ़ और आख़िरत में कामयाबी की तलब होती थी। इस लिए उनकी सोसाइटी मिसाली सोसाइटी थी। आपस की मुहब्बत, हमदर्दी और दियानतदारी उनके समान गुण थे। अल्लाह का ख़ौफ़, आख़िरत की फ़िक्र जैसे कम होती गई मुसलमानों में इन गुणों की कमी होती गई और उनका सामुदायिक जीवन अबतर होता चला गया। ज़रूरत है कि इन गुणों के प्रचलन की फिक्र की जाये और सोसाइटी को संवारा और सुधारा जाये। नास्तिक (खुदा पर यक़ीन न रखने वाले) कौमों में अल्लाह का खौफ़ और आख़िरत की फ़िक्र नहीं होती है लेकिन यूरोप की वर्तमान सभ्य कौमों में फ़र्ज़शनासी, हमदर्दी और दियानत की ज़ाहिरी शक्लें ख़ास नज़र आती हैं। वास्तव में इसका कारण यह है कि उनमें अधिकांश लोग शिक्षित होने के कारण अपने सामुदायिक जीवन को संवारने की फिक्र करते हैं, उनके पास ख़ुदा का खौफ़ और आख़िरत की परिकल्पना नहीं है। उन्होंने खुदा के खौफ़ की जगह हुकूमत और क़ानून की पकड़ के खौफ़ को जगह दी है और आख़िरत की फिक्र की जगह अपने व्यक्तित्व और सामूहिक लाभ व हानि की फिक्र को जगह दी है। इस प्रकार से वह अपना सामुदायिक जीवन अपने मतलब की हद तक संभालने के काबिल हो गये। ज़रूरी काम के लिए फर्जशनासी इसलिए अख्तियार की जाती है कि इसके बिना ज़िन्दगी की गाड़ी नहीं चल सकती है। वहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सहयोग इसलिए कर रहा है कि अपनी ज़रूरत पड़ने पर उसको दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, इसकी प्राप्ति के लिए लेन देन के तरीक़ः से बचना कठिन है, वह दूसरे के साथ कोई हमदर्दी करता है तो या तो इसलिए कि उससे उसको अपना कोई काम निकालना होता है या हमदर्दी न करने पर सोसाइटी की नज़रों में उसको रुसवाई का खतरा होता है। जहां तक दियानत का सम्बन्ध है तो वह सिर्फ़ कानून की पकड़ से बचने के लिए या आम लोगों की राय के दबाव और सोसाइटी की नुक्तः चीनी से बचने के लिए अख़्तियार करता है। अगर इन दोनों बातों में फ़रार की सूरत निकलती है तो वह बद दियानती से बिल्कुल नहीं बचता। अतएव पश्चिम की सोसाइटी में इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि जब भी बद दियानती की पकड़ से महफ़ूज़ मौका मिला तो खुल कर बद दियानती की गई। न्युयार्क में एक रात चन्द घण्टों के लिए बिजली चली गई तो अंधेरे की आड़ में दुकानों के दरवाज़े तोड़ तोड़ कर हर तरह का सामान उठा ले गये और पुलिस ने पकड़ा तो बड़ा नागवार गुज़रा।

अमरीका में किसी अख़बार ने यह सवालनामा प्रकाशित किया कि अगर आपको पकड़ धकड़ का खतरा न हो और चोरी का मौका मिले तो क्या आप चोरी करेंगे? तो भारी अकसरियत का जवाब था ज़रूर करेंगे। यह उनकी साफगोई थी, क्योंकि पकड़ या दबाव का ख़तरा न होने की सूरत में बद दियानती न करना उनकी निगाह में बेवकूफी से ज़्यादा नहीं।

वहां की हुकूमतें इन परिकल्पनाओं को जानती हैं इसीलिए वह इसके अनुसार व्यवस्था भी करती हैं और उसी के अनुसार नियम–क़ानून भी बनाती हैं और इस तरीक़े से सोसाइटी के ज़ाहिरी अमल को कन्ट्रोल कर लेती हैं जिसके कारण उनके सामूहिक जीवन का ज़ाहिरी रंग व रूप बहुत भला लगता है। छोटी मोटी और घटिया क़िस्म की बद दियानतियां पश्चिमी सभ्यता में बहुत कम होती हैं क्योंकि उनसे फायदा कम और सोसाइटी में बदनामी का नुकसान अधिक होता है। अतएव सड़क पर मामूली वस्तुओं की दुकानों पर कभी कभी माल बिना रक्षक के होता है और लोग क़ीमत रखते जाते हैं और माल उठा लेते हैं, जैसे समाचार पत्रों की बिक्री में यह तरीका अपनाया जाता है कारण यह कि आस पास दसियों आदमी आते जाते देख रहे होते हैं। लेकिन जब भी किसी को कोई सुरक्षित मौक़ा मिल गया तो वह इससे पूरा फ़ायदा उठाता है पश्चिमी सभ्यता में क़ानून व हुकूमत की पकड़ के साथ पत्रकारिता की तरफ से भी पकड़ की व्यवस्था है और इस मामले में सहाफत बराबर काम अंजाम देती है। अगर किसी फर्म की तरफ से ख़राब माल बनाया जा रहा हो और मामला खराबी का हो तो पत्रकारिता फौरन उसकी पकड़ करती है और जनता के सामने इस विवाद को ले आती है। इसके कारण कारोबार में दियानत और एहतियात का ध्यान रखा जाता है। यह हालात हैं बे खुदा ज़िन्दगी के, जिन में दीन की पकड़ न होने से दुनियावी तदबीरों से काम लिया जाता है, कम से कम देखने में अच्छे नतीजे हासिल कर लिये जाते हैं। लेकिन हमारे पूरब का माहौल संयोगवश दोनों कारकों से खाली हो चुका है न तो इसमें दीन का इतना असर है कि वह ग़लत कामों और खुदगर्ज़ियों से रोके, और कहीं कुछ असर पाया भी जाता है तो वह बहुत कम है, यह कम तादाद पूरी सोसाइटी को अच्छा नहीं बना पाती, और इस सच्चाई को मान कर इसका विकल्प दुनियावी तरीका अपनाने की तरफ़ भी ध्यान नहीं दिया जाता। नतीजा यह कि हमारे सामूहिक जीवन में, सहयोग, हमदर्दी और दियानत तीनों बातों की मिसालें कम होती जा रही हैं, अलबत्ता इन की चर्चा बराबर होती है और इनके लिए दीन व आख़िरत के हवाले भी दिये जाते हैं जिनका असर किसी हद तक होता है और बहुत से लोगों का इस प्रकार सुधार भी होता है, लेकिन प्रयास अधिक नहीं है। थोड़ी बहुत अच्छी मिसालों के कारण और कहने–सुनने के कुछ काम होने की सूरत में यह समझा जाता है कि यह काफ़ी है और सोसाइटी इससे दुरुस्त हो जायेगी किन्तु यह काफ़ी न होने के कारण समाज में काफ़ी खराबियां पैदा हो गई हैं।

अगर दुकानदार की अज्ञानता और किसी दूसरे की नज़र से बचने का मौक़ा मिल जाये तो ख़रीदार क़ीमत से ज़्यादा माल हासिल कर लेता है और अगर ग्राहक की नासमझी और गफ़लत का मौक़ा दुकानदार को मिल जाये तो यह उससे अधिक दाम वसूल कर लेता है इसी तरह एक साथ रहने वाले एक दूसरे की चीज़ें मौका मिलने पर

थोड़ा बहुत अपनी मिलकियत में ले लेते हैं, और एक दूसरे की चीज़ को बिना इजाज़त इस्तेमाल करने का रिवाज तो बहुत आम है भले ही इससे असल मालिक को कितनी भी कठिनाई और नुक़सान हो।

हमारे मुस्लिम समाज में भी यह कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, इसका बड़ा कारण यह है कि हमारा घरेलू माहौल, फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था दिलों को इन्सानी हमदर्दी का आदी और ख़ुदा के ख़ौफ़ और आख़िरत की फ़िक्र से जोड़ने से बहुत गाफ़िल है, इल्म तो ढेरों मुहैया करने की फ़िक्र की जाती है, लेकिन किरदार को दुरुस्त करने और इन्सान बनाने के तरीक़े बहुत कम अपनाये जाते हैं। इसके नतीजे में वह नैतिक कमज़ोरियां दिलों में घर कर लेती हैं जिससे समाज स्वार्थी बनता जाता है। दूसरे की चीज़ बिना इजाज़त इस्तेमाल कर लेना, दूसरे की छिपी बातों की टोह में रहना, अपने मामूली फ़ायदे के लिए दूसरे का बड़ा नुकसान, दुनियावी फ़ायदे की खातिर आख़िरत की बर्बादी मोल लेना, हमारे समाज में फैलता जा रहा है।

एक संस्थान ने अपने टेलीफोन पर लम्बी दूरी की कालें छुपे तौर पर बार–बार हो जाने के बाद एक तख़्ती लगाई कि यह क़ौमी मक़सद का टेलीफोन है कृपया काल करें तो इसका चार्ज भी अदा करें। तख़्ती की परवाह किये बिना एक साहब काल करने लगे जब उनसे कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं भी क़ौम का हूँ और निःसंकोच काल की और मज़े की बात यह है कि ऐसी बातों को दीन के खिलाफ़ महसूस नहीं करते। यह एहसास कि मालिक से इजाज़त लेकर ही उसकी चीज़ इस्तेमाल की जाये और उसकी इजाज़त पर ही उसकी चीज़ को अपनी मिलकियत में लिया जाये, चाहे वह चीज़ कितनी ही मामूली हो, बहुत कम लोगों को होता है। यह दियानतदारी की कमी का मामला है और जहां तक सहयोग और हमदर्दी का मामला है तो वह तो निष्ठा के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए करने के दायरे से लगभग बाहर हो चुका है। अब तो जिसके सहयोग और हमदर्दी का गहरा जायजः लिया जाये तो इसके पीछे सामान्यतः कोई सांसारिक स्वार्थ छिपा होता है। यहां तक कि आपस में मिलने जुलने में, एक दूसरे से अख़लाक़ के साथ पेश आने में, मुहब्बत, एहतराम के साथ पेश आने में, दूसरे ज़रूरत व तलब खुशी से पूरा करने में अक्सर सांसारिक स्वार्थ का छिपा हुआ अमल दखल मिलता है। इस प्रकार हमारा समाज सिर्फ एक बनावटी मेल जोल का समाज बन गया है। हम में निष्ठा की भावना से अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने की भावना बहुत कम हो चुकी है।

वास्तव में ख़ुदा का ख़ौफ़ और आख़िरत की परिकल्पना के कमज़ोर पड़ जाने का ही यह असर है। जब ख़ुदा का ख़ौफ़ और आख़िरत की परिकल्पना होती है तो आसपास का मेल–जोल और सहयोग व हमदर्दी, निष्ठा, बेगर्ज़ी और सच्चे मेल–जोल की आदत और ताक़त पैदा होती है जिससे इन्सानियत और सच्चे अख़लाक़ का माहौल बनता है और ज़िन्दगी में ज़िन्दगी का मजा आता है। रसूलुल्लाह सल्ल0 के और चारों ख़लीफ़ा के ज़माने में ख़ुदा के ख़ौफ़ और आख़िरत की फ़िक्र की बहुत सी घटनायें हैं, उसके बाद के ज़माने में धीरे धीरे उसमें कमी हुई लेकिन इस्लाम का कोई ज़माना उन जैसी घटनाओं से खाली नहीं रहा यहां तक कि वर्तमान युग में भी इस भावना से युक्त घटनायें मिलती हैं। सहयोग व हमदर्दी की निःस्वार्थ घटनायें तो समय समय पर देखने को मिलती रहती हैं।

शेष पृष्ठ ....18...पर

पिछले अंक से आगे

इस्लामी अक़ीदे (विश्वास)

मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी

मक़ामे महमूदः—

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस बलन्द मकाम का जिक्र कुर्आन मजीद में किया गया है, इरशाद होता है—

अनुवादः— *"उम्मीद है कि आप का रब आप को मकामे महमूद अता फरमाएगा।"*

(अल—इस्राः 79)

इस आयते करीमा की तफ्सीर में सहीह हदीसों में कई सहाबा किराम से बयान किया गया है कि "मकामे महमूद" से मुराद "मकामे शिफाअत" है। (सहीह अल—बुखारीः जिल्द 2/686)

सहीह बुखारी में है कि हज़रत अनस (रजि०) ने शिफाअत के सारे वाकिआत बयान कर के ये ऊपर वाली आयत तिलावत की, फिर मौजूद लोगों को संबोधित करके फरमाया—

अनुवादः— "यही वो मकामे महमूद है जिसका तुम्हारे पैगंबर से वादा किया गया है।"

(सहीह बुखारीः पृष्ठ—1108)

मोजिजेः—

अल्लाह तआला अपने रसूलों को मोजिजे अता फरमाता है, ताकि उनको देख कर लोगों के अंदर सच्चा यकीन पैदा हो, मोजिजे के मायने ही ऐसी चीज के हैं जो सामने वाले को आजिज व बेबस कर दे, हर वो चीज जो इंसान के बस में न हो उसको अरबी में "खारिके आदत" कहते हैं, पैगंबर हज़रात से जब ऐसी "खारिके आदत" चीजें जाहिर होती हैं तो उनको मोजिजे कहते हैं, और कभी कभी अल्लाह के वलियों से भी ऐसी चीजें जाहिर होती हैं, औलिया हज़रात से ऐसी जाहिर होने वाली "खारिके आदत" चीज़ों को करामत कहते हैं।

सारे पैगंबरों को मोजिजे अता हुए, जिनमें खास तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिजों का जिक्र कुरआन मजीद में बार बार किया गया है, आखिरी नबी रसूलों के सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला ने बहुत सारे मोजिजे अता फरमाए, और सारे पैगम्बरों की खूबियों का जमा करने वाला बना दिया।

हुसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी
आंचे खूबां हमह दारंद तू तन्हा दारी

मोजिजा और जादू में बड़ा फर्क ये है कि मोजिजा असली होता है, और जादू सिर्फ कल्पना और नज़र बंदी, अल्लाह तआला फिरऔन के जादूगरों के बारे में फरमाता है—

अनुवादः— *"उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां मूसा को उनके जादू के जोर से दौड़ती हुई लगने लगीं।"*

(सूरः ताहा—66)

यही वजह है कि मोजिजे के सामने कोई भी चीज टिक नहीं सकती, बड़े से बड़ा जादू उसके सामने पानी हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मोजिजे बेशुमार हैं, मशहूर मोजिजों में सीने का फाड़ा जाना, पेड़ों और पत्थरों का सलाम करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इशारे से चाँद का दो टुकड़े हो जाना, खम्भे का रोना, इशारे से मूर्तियों का गिर जाना, पहाड़ का हिलना, पेड़ों का चलना, आँधेरे में रौशनी होना, जानवरों से बातें करना, इसके अलावा बीमारियों से शिफा, चीजों में बढ़ोतरी, उँगलियों से पानी जारी हो

जाना, बहुत सी ग़ैब की ख़बरें बताना, और सबसे बढ़ कर आसमानों की सैर और मेराज का वाकिया और उसके अलावा एक ऐसा मोजिजा जो क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दिया गया और वो है कुरआन मजीद, जिसने अरब के साहित्यकारों को बे बस कर दिया, उनको बार बार ललकारा कि इस जैसा बना लाओ, मगर वो बे बस हो कर रह गए, ये वो मोजिजा है जो कयामत तक बाकी रहेगा।

मकामे सहाबाः—

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मोजिजों में हजराते सहाबा (रजि०) की वो मोजिजाना तरबियत है जिसकी मानव इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिल सकती, मक्का मुकर्रमा के रहने वाले वो हजरात जो ईमान से पहले मानवीय मूल्यों से अनजान थे, और उनमें कुछ ऐसी बुराइयां थीं जिनका जिक्र भी शर्म की बात है, इंसानियत के उस बुलंदी पर पहुँच गए जिससे आगे की कल्पना भी मुश्किल है—

जिनको काफूर पे होता था नमक का धोका
बन गए खाक को इक्सीर बनाने वाले

अल्लाह तआला ने उनके इस मकाम की गवाही दी है और उन पर अपने खास फजल का जिक्र किया है, इरशाद होता हैः—

अनुवादः— ***"और परहेजगारी की बात उनके साथ जोड़ दी और वो इसी के हक़दार और इसके लायक थे।"***

(अल–फतहः 26)

एक जगह फरमाया—

अनुवादः— ***'बेशक अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए ईमान में शौक पैदा कर दिया और तुम्हारे दिलों में उसे सजा दिया और कुफ्र व गुनाह और मासियत से तुम्हें नफ़रत दे दी।***

(अल–हुजरातः7)

और ये कह कर मुहर लगा दी—

अनुवादः— ***"अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए।"***

(अल–मायदाः 119)

यही वजह है की तमाम सहाबा के बारे में मुसलमानों का अकीदा है कि वो सबके सब उम्मत के बेहतरीन लोग हैं, कोई बड़े से बड़ा वली, सहाबा के मक़ाम को नहीं पहुँच सकता, उन में सबसे ऊँचा मकाम सय्यदुना अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि०) का है, फिर हज़रत उम्र (रज़ि०) का मकाम है, फिर हज़रत उस्मान गनी (रज़ि०) का, फिर हज़रत अली (रजि०) का।

सहाबा से मुहब्बत ईमान की निशानी है, इसी तरह अहले बैते नबी से मुहब्बत भी ईमान का तकाजा है, और यही मुसलमानों की सही पहचान है कि वो सहाबा से भी मुहब्बत रखते हैं और अहले बैत से भी।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बेशुमार मोजिजात हैं, उनमें एक मोजिजा खुद हजराते सहाबा और अहले बैत हैं, जिनकी पाकीजा जिंदगियाँ हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मोजिजा हैं, उन हजरात से मुहब्बत और उनकी अजमत को दिल से मानना ये भी ईमान ही का एक हिस्सा है, और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत की निशानी है।

❖❖❖

-:यूनिफार्म सिविल कोडः-

यूनिफार्म सिविल कोड भारतीय संविधान की आत्मा और इस्लामी शरीयत दोनों के खिलाफ़ है इसलिए हमें मंजूर नहीं।

(इदारा)

जंगे आज़ादी में उलमा–ए–किराम का हिस्सा

हज़रत मौ0 सै0 अबुल हसन अली नदवी

भारत हो या कोई अन्य देश उस वक़्त तक आत्मविश्वास, शालीनता, न्याय और शांति के साथ नहीं रह सकता, जब तक साम्प्रदायिकता से बचा न जाए, और बिना भेद भाव के धर्म और जाति से ऊपर उठ कर एक दूसरे को समझा न जाए, देश को बनाने और बचाने में किसका क्या हिस्सा रहा है यह समझने की ज़रूरत है और यह बात सिर्फ मुसलमानों के फायदे की नहीं बल्कि पूरे देश के भले के लिए है कि हर समुदाय के लोग देश की आज़ादी में अपने अपने योगदानों से एक दूसरे को अवगत कराएं, और एक दूसरे का आभार व्यक्त करें, देश को न केवल प्रशासनिक बल्कि मानसिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक साहित्यिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रखने में एक दूसरे की उपलब्धियों को जानना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है।

सुलतान टीपू शहीद रह0 की शहादत का किसी अंग्रेज़ को उस वक़्त तक यक़ीन नहीं आया जब तक उसकी पार्थिव शरीर को अपनी आँख से नहीं देख लिया, और तब उसकी लाश के पास खड़े हो कर अंग्रेज़ फौज के जनरल ''हार्स'' ने कहा कि ''आज से हिन्दुस्तान हमारा है'' इससे पहले किसी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की मौत पर यह प्रतिकृया नहीं आई थी।

भारत के हर देश प्रेमी और वफादार नागरिक को एतिराफ़ करना चाहिए कि देश का सबसे महान नायक और नेता टीपू सुलतान था, जिन्होंने महसूस कर लिया था कि अंग्रेज़ साम्राज्य न केवल देश बल्कि पूरे इस्लामी जगत पर क्या प्रभाव डालेगा, देश के सभी शासकों और सैन्य शक्ति धारकों के बीच टीपू सुलतान जैसा परिपक्व, यथार्थवादी और साहसी नायक पैदा नहीं हुआ, टीपू सुलतान ने तुर्की के सुलतान को भी मदद के लिए खत लिखा था और नेपोलियान के समान विचारधारा वाले समूहों से भी संपर्क बनाया था, और इस प्रकार महान राजनीतिक कौशल का परिचय दिया था, लेकिन अफ़सोस कि जब टीपू सुलतान के मुक़ाबले में अंग्रेज़ों के पाँव उखड़ने का समय था, स्वतंत्र राज्यों के विश्वासघात के कारण टीपू सुलतान शहीद हो गया।

ऐसा नहीं है कि 1857 से आज़ादी की लड़ाई शुरु हुई थी जिसे ''गदर'' का नाम दिया है बल्कि यह लड़ाई तो और पहले से छेड़ी जा चुकी थी, जब सुलतान टीपू शहीद के बाद रायबरेली शहर के एक छोटे से गांव के एक प्रसिद्ध विद्वान और दीनी व इल्मी खानदान के एक बुजुर्ग हज़रत सैय्यद अहमद शहीद (रह0) ने सबसे पहले अंग्रेज़ों के प्रभाव को समझा और पहचाना, एक अंग्रेज़ इतिहासकार ''सर विलियम हंटर'' ने लिखा है कि 1857 के ''गदर'' में सैय्यद साहब के तहरीके जिहाद की बची खुची कुछ चिंगारियाँ काम कर रही थीं, देश की आज़ादी की क्रांति में उलमा–ए–किराम ने जिस तरह भाग लिया और शहीद हुए ऐसी मिसालें कहीं नहीं मिलतीं, और उसी दौर में उठी ''खिलाफत तहरीक'' भी सिर्फ खिलाफते उस्मानिया को

बचाने के लिए नहीं चलाई गयी बल्कि उसके मकासिद में अंग्रेज़ों के प्रभाव को कम करना भी था।

27 हज़ार को फाँसीः—

मौलाना अहमदुल्लाह शाह जंगे आज़ादी के बड़े नायकों में से थे, पंडित सुन्दर लाल उनकी बड़ी तारीफ करते थे, जनरल बख़्त खाँ अंग्रेजों के खिलाफ मुगल फौज का कमाण्डर था, वह मौलाना करामत अली जौनपुरी का मुरीद भी था, उन्होंने बैत व इरशाद और निष्ठा के अन्य वादों के साथ यह वादा भी लिया था कि वह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेगा, अंग्रेज फौज के देहली पर कब्जे के बाद देहली में क़त्ले आम और लूट पाट का दौर दौरा रहा। हेन्री हेड गदर के मुतअल्लिक कहता है कि यह इस्लामी बगावत थी, क़ैसरुत्तवारीख नामी किताब में है कि 27 हज़ार मुसलमानों को फाँसी की सजा दी गई सात दिनों तक बराबर क़त्लेआम होता रहा, हेंन्री हिलटन टॉम्स लिखता है कि मैंने पहले बयान किया है कि गदर 1857 के मुख्य प्रेरक हिन्दू नहीं थे और अब मैं यह दिखाने की कोशिश करूँगा कि 1857 मुसलमानों की साज़िश का परिणाम था हज़रत सैय्यद अहमद शहीद रायबरेली रह0 ने 1810 ई0 में राजा हिन्दू राव वज़ीर गवालियर को लिखा कि "जनाब को खूब मालूम है कि यह परदेसी समन्दर पार के रहने वाले व्यापारी मिज़ाज़ के लोग विश्व के ताजदार और हुकूमत के मालिक बन गये हैं, बड़े—बड़े बादशाहों की हुकूमत और उनके मान सम्मान को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है, जो हुकूमत और कियादत के सूरमाँ थे वह हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसलिए मजबूरन कुछ कमज़ारे और निहत्थे कमर कस कर पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो गये हैं।

उन्होंने रियासत ग्वालियर के उच्च अधिकारी गुलाम हैदर खाँ को भी एक खत लिखा था जो इसी प्रकार का था, और कहा गया था कि हिन्दुस्तान का बड़ा भाग गैर मुल्कियों के हाथ में चला गया है। और उन्होंने हर जगह जुल्म अत्याचार का बाज़ार गर्म कर रखा है कोई उनसे मुक़ाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है।

1864 ई0 में मौलाना यहया अली, मौलाना मो0 जाफर थानेसरी और मो0 शफी लाहौरी को जब एक अदालत ने सजा—ए—मौत का आदेश सुनाया और जज ने कहा कि तुम को फाँसी की सज़ा दी जायेगी और तुम्हारी कुल सम्पत्ति जब्ते सरकार होगी और तुम्हारी लाश भी तुम्हारे वारिसों को न दी जायेगी, बल्कि उसे बड़े अपमान के साथ गोरिस्तान जेल में दफनाया जाएगा, मैं तुमको फाँसी पर लटकता देख कर बहुत खुश हूँगा।

जज का यह फैसला सुन कर वह तीनों गमज़दा होने के बजाए खुश नज़र आये, एक अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट ने समझा कि वह समझ नहीं पाये कि क्या आदेश हुआ है तो उसने जा कर उनसे कहा कि तुम को फाँसी की सज़ा हुई है, लेकिन वह फिर भी खुश नज़र आये, जेल में वह इतनी इबादत करते थे कि एक क़ैदी मौलाना यहया की इबादत से प्रभावित हो कर ईमान ले आया, दोषियों को इस बात पर खुश देख कर कि वह शहादत का दर्जा पाएंगे, उनकी सज़ा को स्थायी कारावास में बदल दिया गया और उन्हें काला पानी भेज दिया गया।

❖❖❖

पिछले अंक से आगे

भारत के अतीत में

मुस्लिम शासकों की धार्मिक निष्पक्षता

सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान

हिन्दुओं की कुछ अनुचित रीतियों का बचावः—

ऊपर के विवरण से स्पष्ट होगा कि हिन्दुओं के सामाजिक जीवन में धर्म की गहरी छाप पड़ी रही। ब्राह्मण का सामाजिक जीवन तो धर्म के पूरी तरह अधीन रहता है। उसके जीवन का जो चित्र अल बैरूनी ने खींचा है वह तो वैदिक काल के ब्राह्मणों का जीवन मालूम होता है। मालूम नहीं 11वीं सदी ईसवी में हर ब्राह्मण का जीवन भी वैसा ही था जैसा कि अल बैरूनी ने विष्णु पुराण की सहायता से प्रस्तुत करके लिख दिया है। यदि ऐसा ही रहा तो वह अवश्य सम्मान योग्य है। अल बैरूनी स्वयं भी उनके पवित्र जीवन से प्रभावित प्रतीत होता है। फिर उसको यदि ब्राह्मणों या सामन्य हिन्दुओं के जीवन से समबन्धित भी कुछ अज्ञानतापूर्ण या अनुचित बातें प्रतीत होती हैं तो उसके लिए कोई न कोई सुन्दर बहाना भी प्रस्तुत करता रहता है। उदाहरण के लिए एक जगह लिखता है कि इस अज्ञानता पर हम अकेले हिन्दुओं ही को आरोप नहीं लगाते। अरब के लोग भी अज्ञानताकाल में इन्ही लोगों की तरह बड़ी—बड़ी अनुचित लज्जापूर्ण बातों में लिप्त होते थे। झाड़—फूँक के सम्बन्ध में लिखता है कि हिन्दू इसे जादू समझते हैं। लेकिन यह लिख कर यह भी निष्कर्ष निकालता है कि इस अर्थ के अनुसार सभी क़ौमें बराबर हैं। अर्थात अन्य क़ौमें भी अपने झाड़—फूँक को जादू समझती हैं। मन्दिरों में कुछ बदचलन औरतें रहती थीं। इसके सम्बन्ध में अल बैरूनी का कथन है कि वह ख़राबी उनके राजाओं की पैदा की हुई है। मन्दिरों में जो औरतें रहती हैं वह गाने, नाचने और दिल बहलाने के लिए होती हैं। ब्राह्मण और पुजारी इसके सिवा और कुछ अर्थात व्यभिचार उनके लिए पसंद नहीं करते। लेकिन उनके राजाओं ने उनके शहरों के लिए श्रृंगार और लोगों के लिए ऐश और मनोरंजन और बेलगाम जीवन का माध्यम बना दिया है। जिनसे इनका उद्देश्य उनके माध्यम से ख़ज़ाने का लाभ और जो कुछ ख़ज़ाने से फ़ौज के लिए बाहर निकलता है उसको दण्ड और टैक्स के माध्यम से ख़ज़ाने में वापस लाना है। इसको नीचा दिखाने की बजाए अल बैरूनी ने इस पर वह लिख कर पर्दा डालना चाहा है कि अज़दुद्दौला ने भी यही किया था। इसके अतिरिक्त उसका एक उद्देश्य यह भी था कि सेना के बिना ब्याहे सिपाहियों से जनता की रक्षा हो।

पहले उल्लेख हुआ कि हिन्दुओं के यहाँ जब कोई मरता है तो उसके लिए आसमान के नीचे एक बरामदा जैसी जगह पर मरने के समय से दस दिन तक प्रतिदिन पका हुआ खाना और पानी का घड़ा रख दिया जाता है ताकि उसकी आत्मा को यदि किसी जगह ठिकाना न हो तो वह अपनी भूख और प्यास को घर के आस—पास आकर पूरी करे। इस सम्बन्ध में अल बैरूनी लिखता है कि सुकरात के यहाँ भी इस तरह के विचार पाये जाते हैं। उसका विचार है कि कब्र के आस—पास आत्मा अपने शरीर के प्रेम में चक्कर लगाती रहती है। आत्मा शरीर के

हर अंग में से कुछ न कुछ एकत्र करती है जो मिल कर इस संसार में और शरीर की मृत्यु पर जब वह उससे अलग होता है, उसके बाद की दुनिया में उसके आवास की जगह बन जाती है।

एक जगह अल बैरूनी गंगा और यमुना के संगम के पास एक पेड़ का उल्लेख करते हुए लिखता है कि इस पेड़ के पास लोग अपने आप की इस तरह कुर्बानी देते हैं कि उस पर चढ़ कर अपने आप को गंगा नदी में गिरा देते हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए वह लिखते हैं कि जो कुछ मैंने हिन्दुओं से नक़ल किया है, ठीक इसी तरह की बात सुक़रात ने कही है कि किसी व्यक्ति के लिए यह उपयुक्त नहीं कि अपने आप को इससे पहले कि जान दे, देवता उसके लिए ऐसी मजबूरी पैदा कर दें जैसी इस समय हमारे लिए मौजूद हो गयी है। सुक़रात ने यह भी कहा है कि हम इंसान उन लोगों की तरह हैं जो क़ैद हैं। यह उपयुक्त नहीं कि हम लोग भागें और न यह कि अपने आप को खोल दें। इसलिए कि देवता इस कारण से कि हम इंसान उनके सेवक हैं, हमारी ओर विशेष ध्यान देते हैं।

............जारी.............

❖❖❖

पृष्ठ ...12.....का शेष

मिसाल के तौर पर मक्का की यह घटना कि एक पाकिस्तानी नवजवान जो मक्का में काम करते हैं, दोनों गुर्दों के बेकार हो जाने के मर्ज से पीड़ित हुए। उनको डॉक्टरों ने बताया कि वह किसी का गुर्दा अपने शरीर में लगवायें तब ही बच सकते हैं, ख़र्च लम्बा था, उनके कुछ दोस्त इसके लिए फ़िक्रमन्द हुए, इसी दौरान एक अरब आये उन्होंने पूछा कितना खर्च आयेगा। उनको बताया गया कि एक लाख रियाल का ख़र्च है, उन्होंने उसी समय रक़म निकाल कर दे दी। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसके लिए मैंने किया है यानी खुदा मेरा नाम जानता है और यह कह कर चले गये। क्या यह बात अल्लाह की रज़ा और आख़िरत में उसके बदले के अलावा किसी और कारण से हो सकती है?

और जब ख़ुदा के ख़ौफ़ और आख़िरत की परिकल्पना से ज़िन्दगी खाली हो तो बेदर्दी और खुदगर्ज़ी की घटनायें अक़सर देखने में आती हैं जो मुल्क के क़ानून से काबू में नहीं आतीं जैसे रेल या हवाई दुर्घटना के समय मरने वालों और घायलों के माल पर फौरन कब्जा करना, जैसा कि रूस जैसे सख़्त पकड़ रखने वाले मुल्क में आरमीनिया में आये भूचाल से प्रभावित लोगों के साथ बेदर्दी की खबरें आईं, जो इस बात की अलामत है कि क़ानून से एक बनावटी रोक तो लग सकती है लेकिन सच्ची और भरपूर रोक नहीं हो सकती।

❖❖❖

मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ का इन्तिक़ाल

मौलाना मरहूम का बड़ा इल्मी काम क़ुर्आन शरीफ़ का हिन्दी भाषा में अनुवाद है जो हिन्दी भाषियों के लिए बहुमूल्य तोहफ़ा है, इसके अलावा हिन्दी उर्दू दोनों भाषाओं में मौलाना के क़लम से बहुत लाभदायक किताबें प्रकाशित हुईं, मौलाना उर्दू ज़बान के एक अच्छे कवि भी थे, फ़राज़ सुलतानपुरी के उपनाम से प्रसिद्ध थे, मौलाना इलाज के सिलसिले में लखनऊ आये थे, और यहीं 28 जून 2023 को सफ़रे आख़िरत पर रवाना हो गये, मौलाना को उनके पैतृक गाँव हमज़ापुर पठान कर्पी, जिला सुलतानपुर में दफ़न किया गया। अल्लाह तआला मरहूम की मग़फिरत फ़रमाए और जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। ❖❖

मणिपुर में शान्ति स्थापना के लिए

मुसलमानों का मिसाली किरदार

नूरुल्लाह जावेद, कोलकाता

तीस साल पहले 3 मार्च 1993 की शाम मणिपुर के पिंगल मुसलमानों पर मैतेयी समुदाय के चरमपंथी हिन्दुओं ने हमला किया था, जो दो दिनों तक जारी रहा। ग़ैर–सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक़ इस घटना में दो सौ मुसलमानों की जान गई थी। 8.5% आबादी वाले पिंगल मुस्लिम पिछले 30 वर्षों से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अन्याय के शिकार हैं। पिछले पाँच से छह वर्षों में भाजपा शासन में मुसलमानों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद उसका पहला मुख्यमंत्री मुसलमान था, लेकिन आज एन बिरेन सिंह की सरकार में एक भी मुसलमान नहीं है। 2022 के विधान सभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर दो मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की थी। जदयू के मुहम्मद एसाबुद्दीन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मणिपुर में पिछले कुछ सालों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, कई मुस्लिम घरों को भी 'अवैध' बता कर तोड़ा गया है। इसके अलावा हाल के वर्षों में मैतेयी संप्रदाय के चरमपंथी संगठनों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ़ आक्रामक अभियान भी चलाये गये हैं। मुसलमानों पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने का भी आरोप लगाया गया। अजीब इत्तिफ़ाक़ ही है कि इस घटना के 30 साल बाद 3 मई की शाम को मणिपुर एक बार फिर खून में डूब गया लेकिन इस बार पीड़ित मुसलमान नहीं, बल्कि मैतेयी, कुकी और नागा जनजातियां हैं जो एक दूसरे को निशाना बना रही हैं। एक महीने के ज़्यादा अरसे से मौत का तांडव चल रहा है। हत्या की घटनाओं ने सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने और आपसी भाईचारे की दीवार को तोड़ कर रख दिया है। आज हालत यह है कि कुकी और नागा आदिवासी, मैतेयी बाहुल्य क्षेत्र में असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि मैतेयी लोग कुकी और नागा आबादी वाले क्षेत्रों में रहने को तैयार नहीं है। लाखों लोग बेघर हैं और शिविरों में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में पिंगल मुसलमान, जो राज्य की जनसंख्या का 8.19% हैं, यदि किसी समुदाय के पक्ष में अपना समर्थन देते हैं तो वह समुदाय मज़बूत होता, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस भटकाव का फ़ायदा उठाने के बजाय, पिंगल मुसलमान दो समूहों के बीच अमन व शांति और भाईचारा की स्थापना के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मुसलमानों ने दंगों के सभी पीड़ितों के लिए अपने घरों के दरवाज़े खोल दिये हैं, चाहे वे कुकी हों या मैतेयी। विद्रोह पर रिपोर्टिंग के नाम पर अधिकांश तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया समाचार चैनलों पर एक महीने से उपद्रव और अशांति से संबंधित रिपोटिंग के नाम पर महज़ खाना पूरी की गई। प्रिंट मीडिया में रिपोर्टिंग तो हुई लेकिन इसने मणिपुर दंगों के दौरान मुसलमानों की अद्भुत मानवीय भूमिका को नज़रअंदाज़ कर दिया। मुसलमानों की छवि बिगाड़ कर पेश करने वाले मीडिया से इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मणिपुर में मैतेयी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने और

राज्य सरकार को सिफारिशें भेजने के निर्देश के संबंध में मार्च में मणिपुर उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद कुकी आदिवासियों में गहरी नाराज़गी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री के विवादास्पद बयानों और आदिवासियों द्वारा जंगलों के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाई तथा मैतेयी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध करने वाले कुकी लोगों के बीच असुरक्षा की भावना को गहरा कर दिया है। 3 मई को नागा और कुकी समुदायों ने एक संयुक्त रैली की। इस बीच लेशांग गांव में एंग्लो–कुकी युद्ध स्मारक को कुछ उपद्रवियों ने तोड़ दिया और तब से मणिपुर में उथल–पुथल मची हुई है। लेख लिखे जाने तक इंफाल और दीमापुर राजमार्गों पर नाकाबंदी जारी है, जिससे मणिपुर को माल की आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों की भारी कमी है और दवाओं की डिलीवरी बंद कर दी गई है। पिछले एक महीने में सौ से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हज़ारों लोगों को शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

जनसांख्यिकीय संरचना और मणिपुर के मुसलमानः–

मणिपुर में 16 जिले हैं जिनमें दस पहाड़ी क्षेत्रों में और छह घाटी में स्थित हैं। कुल 60 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें से 40 घाटियों में स्थित हैं जबकि 20 विधानसभा क्षेत्र पहाड़ी जिलों में स्थित हैं। पहाड़ी जिलों में राज्य के दो आदिवासी समुदायों, नागा और कुकी का वर्चस्व है, जबकि घाटी के जिलों में मैतेयी समुदाय का वर्चस्व है। मणिपुर एक बहुत–सांस्कृतिक और बहु धार्मिक राज्य है। 41.39% मैतेयी हैं जिनमें से अधिकांश हिन्दू धर्म का पालन करते हैं। 41.29% जनसंख्या कुकी और नागा हैं। ये दोनों धर्म से ईसाई हैं। मुसलमानों की आबादी 8.40% है। 8.19% आदिवासी और अन्य धर्मों के अनुयायी हैं। मणिपुर की 98 प्रतिशत मुस्लिम आबादी में पिंगल मुस्लिम (मिटी मुस्लिम) शामिल हैं।

ऐतिहासिक रूप से मणिपुर में मुसलमानों के आगमन के बारे में कहा जाता है कि मणिपुर के राजा खगम्बा (1597–1652) के शासनकाल में पहली बार मुसलमान मणिपुर के समाज का हिस्सा बने। 1606 में जनरल मुहम्मद शानी के नेतृतव में 1000 सैनिकों को पकड़ लिया गया और मणिपुर लाया गया। मणिपुरी राजा ने मुस्लिम सैनिकों को घाटी में बसने की अनुमति दी। उन्होंने सैनिकों को स्थानीय मैतेयी महिलाओं से शादी करने की भी अनुमति दी, इसलिए उनकी संतानों को मैतेयी पिंगल कहा जाता है। मणिपुर के स्वतंत्र पत्रकार मेराज शाह कोरी साप्ताहिक दावत से बात करते हुए कहते हैं कि मणिपुर के समाज में पिंगल मुसलमानों की भूमिका पिछली चार शताब्दियों में ऐतिहासिक रही है। मुसलमानों ने सेना, कृषि, न्याय और अन्य विज्ञान और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। मणिपुर में मुसलमानों की जनसंख्या दस प्रतिशत से भी कम होने के बावजूद मुसलमानों ने वहां भूमिका निभाई है। 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद मुहम्मद अलीमुद्दीन राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। चूंकि मणिपुर के मुसलमानों की आबादी घाटी के जिलों में अधिक है, इसलिए उनका संपर्क ज़्यादातर मैतेयी समुदाय से है, इसलिए दोनों समुदायों की समस्याएं भी एक जैसी हैं और हितों का टकराव

भी है। लिलोंग, यारिपुक, सांगयुमपम, खेतड़ीगांव, मोरिंग, मायांगम्फाल, थौबल, बिशनपुर, चंदेल और चोराचंदपुर जैसे क्षेत्रों में मुसलमानों का निवास है। राज्य में मुसलमानों का एक तबका है जो बिहार और यूपी से पलायन करके वहां गया है, लेकिन उनकी संख्या कम है।

मणिपुर में पिंगल मुसलमानों की वर्तमान सामाजिक–आर्थिक स्थिति दयनीय है। मुसलमानों की शिक्षा दर राज्य की औसत साक्षरता दर से कम है। उच्च शिक्षा और नौकरियों में भी मुसलमानों का प्रतिनिनिधत्व कम है। जनजातीय समूहों के पास 60 सदस्यीय मणिपुर राज्य विधानसभा में 20 सीटें आरक्षित हैं और सभी सरकारी नौकरियों में 31% तक आरक्षण है। मैतेयी को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। मुसलमानों को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलती। दिसंबर 2006 में मुख्यमंत्री ओकराय इबोबी सिंह ने कांग्रेस शासन के दौरान सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय के लिए चार प्रतिशत आरक्षण नीति की घोषणा की, लेकिन यह आधी–अधूरी घोषणा आज तक लागू नहीं की गई।

मैतेयी की अधिकांश आबादी हिंदू है। यह चार शताब्दी पहले हिंदू धर्म का हिस्सा बन गया। परंपरा के अनुसार 1704 में मैतेयी राजा चरैरोंगबा वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गये और अपने पारंपरिक मैतेयी नाम को एक हिंदू नाम पटंबर सिंह में बदल दिया। राजा की इस कार्यवाई के कारण पूरी मैतेयी जनजाति हिन्दू धर्म में परिवर्तित हो गई। मैतेयी राज्य का विशेषाधिकार प्राप्त बहुसंख्यक समुदाय है। वे सबसे शिक्षित और आर्थिक रूप से समृद्ध समुदाय हैं। राज्य की सत्ता, संसाधनों और सुविधाओं में सबसे अधिक मीठी समुदाय की पहुँच है, हालांकि मीठी समुदाय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला दे कर अनुसूचित जनजाति के दर्जे की लड़ाई लड़ रहा है, मैतेयी समुदाय का तर्क है कि वे राज्य की आबादी का आधा हिस्सा हैं लेकिन भूमि के केवल दस प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में उन्हें ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं है जबकि घाटी में कुकी और नागा आदिवासियों को ज़मीन खरीदने की अनुमति है। कुकी और नागा आदिवासी समूह हैं जो ईसाई धर्म का पालन करते हैं। सिविल सेवाओं में बड़ी संख्या में कुकी के साथ कुकी भी एक उच्च शिक्षित समूह है। मणिपुर की सीमा से सटे म्यांमार में भी बड़ी संख्या में कुकी आबादी रहती है। म्यांमार में सैन्य जुंटा द्वारा नवीनतम तख्ता पलट के बाद बड़ी संख्या में म्यांमार के लोग कुकी सीमा पार कर मणिपुर आ रहे हैं। कुकी आबादी उसके साथ सहानुभूति रखती है। इसी तरह, नागा आदिवासी भी म्यांमार से घुसपैठ के प्रति सहानुभूति रखते हैं। मैतेयी को डर है कि अगर घुसपैठ इसी तरह जारी रही, तो जल्द ही मणिपुर की जनसंख्या ही बदल जाएगी और मैतेयी आबादी के मामले में कुकी से आगे निकल जाएंगे। केन्द्र सरकार द्वारा वन कानून में बदलाव, अवैध वन अतिक्रमण पर कार्यवाई और नशीली दवाओं की खेती के लिए सारा दोष कुकी और नागा पर डालने से भी उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। म्यांमार में कुकी लोगों की क्रूरता और उत्पीड़न और भारत सरकार की नृशंसता के कारण कुकी लोगों में भी गहरा आक्रोश है।

कुकी और नागा आदिवासियों की तरह मणिपुर के मुसलमानों को मैतेयी समुदाय द्वारा

असामाजिक तत्वों और रूढ़िवादिता के वाहक के रूप में चित्रित किया जाता है। अकेले मुसलमानों को घाटी में चोरी और ड्रग्स जैसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। 2018 में मणिपुर सरकार ने वन भंडार और कृषि भूमि पर अतिक्रमण के लिए 400 मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल कर दिया था। मुसलमानों को अभी तक इन बेदखली के लिए मुआवज़ा नहीं दिया गया है। राज्य सरकार की इन कार्यवाइयों ने अन्य स्थानीय समूहों को पिंगल मुसलमानों को बेदखल करने की धमकी देने के लिए प्रोत्साहित किया है। मुस्लिम संगठनों का दावा है कि पिंगलों की तुलना में, हिन्दू मैतेयी आबादी को बहुत कम जांच और बेदखली का सामना करना पड़ता है। हाल के वर्षों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी हुई हैं। 2016 में एक स्टार्ट–अप कंपनी के मालिक मुहम्मद फ़ारूक़ की मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई थी। स्थानीय मीडिया में मणिपुर के मुसलमानों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आती हैं, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी ख़बरों का कोई कवरेज नहीं होता है।

इस तरह देखा जाए तो मणिपुर के तीन प्रमुख समुदायों के बीच भरोसे की कमी है। मैतेयी और पिंगल मुसलमानों के बीच विश्वास क़ायम करने के लिए हाल के दिनों में प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह कारगर साबित नहीं हुआ है। हालांकि, हाल के दंगों के बाद, मैतेयी समुदाय मांग कर रहा है कि मुसलमान उनके साथ खुले तौर पर आएं क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं और उनकी कई समस्याएं आम हैं, जिन्हें एक साथ लड़ कर दूर किया है। मैतेयी की तरह मुस्लिम भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

हालिया दंगों के दौरान मुसलमानों की भूमिकाः–

मैतेयी समुदाय की ओर से खुल कर साथ देने तथा कुकी समुदाय का मुक़ाबला करने के दबाव के बावजूद, मणिपुर के मुस्लिम समुदाय ने एक ज़िम्मेदार और शांतिपूर्ण नागरिक होने की भूमिका निभाने का फैसला किया है। पिंगल मुसलमानों के कई सक्रिय संगठन हैं जिनमें जमाअत–ए–इस्लामी हिंद, जमीयत उलेमा–ए–हिंद और इस्लाहे मुआशरा जैसी समितियां शामिल हैं। इसी तरह, मणिपुर मुस्लिम छात्र संगठन और मुस्लिम महिला संगठन जैसे संगठन हैं जो युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के

> **मैतेयी समुदाय की ओर से खुल कर साथ देने तथा कुकी समुदाय का मुक़ाबला करने के दबाव के बावजूद, मणिपुर के मुस्लिम समुदाय ने एक ज़िम्मेदार और शांतिपूर्ण नागरिक होने की भूमिका निभाने का फैसला किया है। पिंगल मुसलमानों के कई सक्रिय संगठन हैं जिनमें जमाअत–ए–इस्लामी हिन्द, जमीयत उलेमा–ए–हिंद और इस्लाहे मआशरा जैसी समितियाँ शामिल हैं। इसी तरह, मणिपुर मुस्लिम छात्र संगठन और मुस्लिम महिला संगठन जैसे संगठन हैं जो युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं।**

लिए काम करते हैं।

मणिपुर में सभी मुस्लिम संगठनों की एक संयुक्त अखिल मणिपुर मुस्लिम संगठन समन्वय (AMMOCC) समिति भी है। इस मंच के माध्यम से मणिपुर के मुसलमान अपनी आपसी समस्याओं को सर्वसम्मति से हल करने का प्रयास करते हैं। मणिपुर में सामूहिक हिंसा की घटनाएं शुरु होने के बाद ही मुस्लिम समुदाय ने शांति स्थापित करने की पहल की और दोनों प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। ऑल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन के अध्यक्ष एसएम जलाल का कहना है कि मणिपुर का मुस्लिम समुदाय राज्य में शांति के दूत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संकल्पित है। हमने निकासी और बचाव कार्यों में सहायता के लिए विभिन्न स्थानों पर अस्थायी राहत शिविर स्थापित किए हैं। प्रभावित इलाकों में मुस्लिम इलाकों की तरफ़ से ज़रूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत 12 मई को मणिपुर में शांति स्थापना के लिए सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया।

पत्रकार मेराज शाह कोरी ने बताया कि मणिपुर में 3 मई को आदिवासियों के एक संयुक्त जुलूस और कुकी स्मारक पर मैतेयी उग्रवादियों द्वारा हमला किए जाने के बाद दंगे भड़क उठे थे।

जमाअत–ए–इस्लामी हिंद व जमीयत उलेमा–ए–हिंद सहित कई स्थानीय मुस्लिम संगठनों पर आधारितएक संयुक्त फोरम (AMMOCC) द्वारा एंव बचाव कार्यों एवं मानवीय सहायता बिना किसी पक्षपात एवं भेदभाव के उपलब्ध कराने के लिए कई स्थानों पर राहत शिविर लगाए, हज़ारों मैतेयी व दूसरे

स्थिति पहले चंद्रचूड़पुर में बिगड़ गई फिर घाटी में, जहाँ अधिकांश मैतेयी रहते हैं, कुकी के घरों पर हमले शुरु हो गए, बड़ी संख्या में कुकी निवासियों को खाली करने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें आश्रय दिया। राहत शिविरों में खाने–पीने का सामान मुहैया कराया जा रहा है। इसी तरह, चंद्रचूड़पुर और थोपाल जैसे क्षेत्रों में, फफूँद के हमले से भाग रहे माइट्स को बचाने के लिए मुसलमान आगे आए। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि दोनों समूहों में से किसी भी समूह द्वारा मुसलमानों के घरों पर कोई हमला नहीं किया गया और मुसलमानों को कोई हताहत नहीं हुआ। मेराज शाह कोरी के मुताबिक, मुस्लिम संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे और शांति स्थापना के लिए बहुमूल्य सुझाव भी दिए। मुस्लिम संगठनों ने भी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रयास किए, लेकिन मुसलमानों की नेतृत्वकारी भूमिका को राष्ट्रीय मीडिया द्वारा न तो दिखाया गया और न ही महत्व दिया गया। जिस तरह राष्ट्रीय मीडिया में मुसलमानों की समस्याओं और चुनौतियों पर कभी चर्चा नहीं की जाती, उसी तरह मुसलमानों की सकारात्मक भूमिका और संघर्ष को राष्ट्रीय मीडिया में नहीं दिखाया गया है।

मणिपुर के मुसलमानों की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। एक

बड़ी आबादी दैनिक श्रम और अन्य छोटे कामों में लगी हुई है। कार्यबल में मुसलमानों की हिस्सेदारी केवल 38 प्रतिशत है। इसी तरह, पुरुषों की तुलना में कार्यबल में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। सीमित संसाधनों और संसाधनों के बावजूद यदि कोई समुदाय अराजकता का हिस्सा बनने और अस्थायी लाभ प्राप्त करने के बजाय शांति और व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करता है, तो सरकार और मीडिया को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उनकी नज़र में उनके लोग जो करते हैं वह अच्छाई है, मुसलमान जो भी कुर्बानी देते हैं वह उनकी नज़र में बेकार है।

सवाल यह है कि क्या मुसलमानों की इस भूमिका के बाद मैतेयी समुदाय और पिंगल मुसलमानों के बीच अविश्वास का माहौल खत्म हो पाएगा? मेराज शाह नूरी कहते हैं कि किसी भी कार्य का तत्काल लाभ नहीं होता है। हाल की घटनाओं ने मणिपुर में सामाजिक ताने–बाने को बुरी तरह कमज़ोर कर दिया है। बरसों तक पड़ोसी बन कर रहने वाले अब एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए है। सरकारी अधिकारियों में दहशत का माहौल है। मैतेयी के अधिकारी कुकी बाहुल्य क्षेत्र में तैनात हैं तो वे जल्द से जल्द अपना तबादला चाहते हैं। इसी तरह कुकी अधिकारी भी मैतेयी बहुल क्षेत्र में काम करने को तैयार नहीं हैं। ये चुनौतियाँ मामूली नहीं हैं, इन परिस्थितियों के लिए असाधारण उपायों की आवश्यकता है और मुस्लिम समुदाय ने यही किया है।

जमीयत उलेमा–ए–हिंद, मणिपुर के अध्यक्ष मौलाना सईद अहमद ने साप्ताहिक दावत को बताया कि हाल के दंगों का सबसे बड़ा सबक़ यह है कि एक समुदाय का पक्ष लेने और लंबे समय तक दूसरे समुदायों की अनदेखी करके शांतिपूर्ण माहौल स्थापित नहीं किया जा सकता है। हाल के दंगों और असुरक्षा की भावनाओं के लिए केवल एक उच्च न्यायालय के फैसले को दोष देना उचित नहीं है। मणिपुर के जातीय समूहों के बीच असंतोष, असुरक्षा की भावना और भविष्य के प्रति चिंता दशकों से उबल रही थी। हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद यह ग़ुस्सा निकला। भारत की आज़ादी के बाद से ही मणिपुर अस्थिरता का शिकार रहा है और यहां जातीय और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन सरकारों ने कभी भी इस समस्या को भविष्य के आधार पर हल करने की कोशिश नहीं की और आज नतीजा यह है कि मणिपुर मानव जीवन को बर्बाद कर रहा है। हज़ारों लोग बेघर हैं और शिविरों में रह रहे हैं। मुस्लिम संगठनों की भूमिका के बारे में बात करते हुए सईद अहमद कहते हैं कि मणिपुर के सभी मुस्लिम संगठन पूरी घटना में तटस्थ रहे और मानवीय आधार पर पीड़ितों की मदद करने का फैसला किया। हमें उम्मीद है कि हमारी पहल मणिपुर में विभिन्न समूहों के बीच समन्वय और संवाद के माध्यम से मुद्दों को हल करने के लिए दरवाज़े खोलेगी।

(कान्ति साप्ताहिक जून 2023 से ग्रहीत)

❖❖❖

दुआ–ए–मग़्फ़िरत की दरख्वास्त

सम्पादक महोदय के बड़े भाई की बहू, डॉ मु0 तारिक़ नदवी (देहली युनिवर्सिटी) की बीवी का 22 जुलाई, 2023 को अचानक इंतेकाल हो गया "इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन" मरहूमा नेक शरीफ पढ़ी लिखी और शौहर की फरमांब्रदार खातून थीं।

यह सम्पादक महोदय के पूरे परिवार के लिए बड़ी दुखद घटना है। अल्लाह इनकी मग्फ़िरत फरमाये और इनके तमाम रिश्तेदारों को सब्र अता फरमाए। आमीन।

(उप सम्पादक)

देश की आज़ादी में
मुस्लिम महिलाओं का योगदान

मुहम्मद इब्राहीम सज्जाद तैमी

कष्ट दायक बात है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महिलाओं को नज़रअन्दाज़ किया गया, विशेष कर मुस्लिम महिलाओं को, आवश्यकता है कि आगामी इतिहास कार इस पर ध्यान दें और अपने रिसर्च का विषय बनाएं, इसके बिना जंगे आज़दी का इतिहास अधूरा रहेगा, आश्चर्य की बात है कि महिला इतिहास कार मनमोहन कौर ने भी अपनी किताब *"Women in India's Freedom Movement"* में जंगे आज़ादी में शानदार रोल अदा करने वाली हज़ारों मुस्लिम महिलाओं में से केवल बेग़म हज़रत महल और बी अम्मां का उल्लेख किया है, इसमें संकोच नहीं कि इन दोनों सम्मानीय महिलाओं का रोल मर्दों की तुलना में किसी दर्जे पर कम नहीं था, जंगे आज़ादी में मुस्लिम महिलाओं के योगदान को नज़र अन्दाज़ करने का कारण पक्षपात और संकीर्ण मान्सिकता भी हो सकता है और मुस्लिम इतिहासकारों की लापरवाही भी, इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी भलीभांति परिचित है कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम दिन से हिन्द पाक के बटवारे तक मुस्लिम महिलाओं का उतना ही शानदार रोल रहा है जितना नान मुस्लिम महिलाओं का, इतिहास कैसे भूल सकता है कि 1857 ई0 की जंगे आज़ादी में थाना भवन, मुज़फ़्फ़रनगर यू0पी0 के क्रान्तिकारी क़ाज़ी अब्दुर्रहीम की माँ असगरी बेगम तन्हा अपनी ज़ात से स्वतंत्रता संग्राम में शरीक हुईं, अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ़्तार करके ज़िन्दा जला दिया। इसी प्रकार बीवी हबीबा और बीबी रहीमा जिन्होंने अपनी अनुपम वीरता और साहस का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेज़ों की प्रगति को रोक दिया, कुछ कारणों से वह प्राजित हुईं, अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ़्तार करके फाँसी पर चढ़ा दिया, बताने की ज़रूरत शायद नहीं है और इन जैसी महिलायें जिन्होंने देश के स्वतंत्रता अभियान में अपनी जानों की कुरबानी दी, इतिहासकार चाहे उनके कारनामों को नज़रअन्दाज़ करें, लेकिन लोगों की ज़बानों पर उनकी दास्तानों का चर्चा हमेशा रहेगा, अगर कुछ महिलाओं की बात होती तो उसे इतिहास के किसी ठण्डे बस्ते में डाल दिया जाता और उसका कोई उल्लेख न होता, परन्तु एक मोटे अनुभव के अनुकूल 1857 ई0 की जंगे आज़ादी में 225 मुस्लिम महिलाओं की जानों का नज़राना कैसे भुलाया जा सकता है। इतिहास इसे भी नहीं भूल सकता कि झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई, कस्तूरबा गाँधी, सरोजनी नाएडो, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, स्वरूप रानी, बटूरानी चीनमा, भीका ज़ी कामा, सुचेता कृपलानी, सावित्री बाई फूले, लाडूरानी, जुतशी, मनमोहिनी जुतशी, श्यामा जुतशी, जनक जुतशी और दूसरी नानमुस्लिम महिलाओं ने भी देश के स्वतंत्रता अभियान को कामयाबी के साथ मन्ज़िल तक पहुँचाया उनके परिश्रम और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, इसी प्रकार उनके कन्धे से कन्धा मिला कर चलते हुए कभी उनके बराबर और कभी उनसे ज़्यादा कुरबानियां पेश करने वाली मुस्लिम महिलाओं को भी इतिहास के पन्नों में जगह मिलती रहेगी और उन्हें याद किया जाता रहेगा, बेगम हज़रत महल की

वतन पर जाँनिसारी और ईसार और कुर्बानी को कौन नज़र अन्दाज़ कर सकता है। जिन्होंने अपने सरताज नवाब वाजिद अली शाह की अवध से कोलकाता जिला वतनी के बाद अवध में रह कर फ़ौज की कमान संभाली, अंग्रेज़ों को पै दर पै, शिकस्त देकर उसे उनके चंगुल से आज़ाद भी करा लिया, मगर अंग्रेज़ों के षडयंत्र और अपनों की ग़द्दारी की वजह से आख़िर कार पराजित हो गईं और नैपाल जा कर पनाह ली और वहीं इन्तिक़ाल हुआ। और दफ़न हुईं। आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह जफ़र की पत्नी रानी ज़ीनत महल ने अपने सरताज के साथ ही रंगून की जिला वतनी का अज़ाब झेला, वहीं इन्तिक़ाल किया और वहीं पहलुये यार में दफ़न भी हुईं।

मौलाना हसरत मोहानी की पत्नी निशातुन निसा बेगम का वतन की आज़ादी की राह में त्याग, सब्र, दृढ़ता आदर्श था इस राह में हज़ारों मुसीबतें आईं, परन्तु दृढ़ता के साथ जमी रहीं, और सदैव अपने शौहर मौलाना मोहानी को हौसला दिया और हिम्मत बंधाई, मौलाना हसरत मोहानी क़ैद बा मशक़्क़त की सज़ा झेल रहे थे, मौलाना ने इसका उल्लेख अपनी शाइरी में किया है। हिन्दुस्तान की जंगे आज़ादी के सूरमाओं में अली विरादरान मौलाना मुहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की माँ जो बी अम्मां के नाम से जानी जाती हैं, देश की ज़ंगे आज़ादी में बी अम्मां का बड़ा योगदान है अपने बेटों के साथ पूरे देश का भ्रमण करती थीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पत्नी बेग़म जुलेख़ा ने ज़ंगे आज़ादी में अपने शौहर का पूरा साथ दिया। बहुत कष्टजनक है कि मौलाना आज़ाद अहमद नगर के किले में क़ैद थे, जुलैख़ा बेगम का इन्तिक़ाल हुआ, मौलाना आज़ाद जनाज़े में शरीक़ न हो सके, जिसका अफ़सोस मौलाना आज़ाद को पूरी ज़िन्दगी रहा, स्वतंत्रता संग्राम की एक नामवर मुस्लिम महिला अज़ीज़न, जिनका जन्म 1832 ई0 में लखनऊ में हुआ, जब 4 जून 1857 में नाना साहब पेशवा ने जंगे आज़ादी में हिन्दू मुस्लिम दोनों समप्रदाय को संयुक्त हो कर लड़ने की दावत दी तो अज़ीज़न ने घर छोड़ दिया और स्वतंत्रता अभियान में शरीक हो गईं, उन्होंने औरतों की एक बटालियन बनाई थी, वह अच्छी योद्धा थीं, वह अपनी बटालियन की औरतों को हथियार चलाना सिखाती थीं, अन्ततः वह गिरफ़्तार करके जनरल हियुलाक के सामने पेश की गईं, हियुलाक ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपना ज़ुर्म स्वीकार करलें और माफी माँग लें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा परन्तु उन्होंने इस प्रस्ताव पर शहादत को प्रधानता दी, उनके अलावा ज़ुबैदा दाऊदी, रज़िया ख़ातून, हाजिरा बेग़म, सुग़रा ख़ातून, ज़ाहिदा ख़ातून शेरवानी, आमिना क़ुरैशी, फ़ातिमा क़ुरैशी, ह़जारह बेगम, सआ़दत बानो कचलू, अरूना आसिफ़ अली, बेगम ख़ुरशीद ख़्वाजा, सरहदी गाँधी, खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार की बेटी मेहर ताज, खदीजा बेगम, कनीज़ साज़िदा बेगम, मुनीरा बेगम, इस्मत आरा बेगम, आमिना तय्यब जी, बेगम सकीना लुक़मानी, रैहाना तय्यब जी, हमीदा तय्यब जी, फ़ातिमा तय्यब जी, सफ़ीया सआद खाँ, बीबी शफ़ाअतुन्निसा, कुलसूम सयानी, फ़ातिमा इस्माईल, बेगम सुलताना हयात अन्सारी, ज़ुहरा अन्सारी, मुस्लिम महिलाओं की यह बहुत थोड़ी संख्या है जिनकी कुरबानियों का हमारा प्रिय हिन्दुस्तान हमेशा आभारी रहेगा, बेशुमार मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने देश की आज़ादी प्राप्त करने में अपनी जानों का नज़राना पेश किया जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चों को उनके नामों और कर्मों से परिचित कराएं।

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: निकाह के रिश्ते के इन्तिखाब में शरीअत का क्या हुक्म है। अगर दौलत या उहदा देख कर इन्तिखाब करे तो क्या यह जाइज़ होगा?

उत्तर: निकाह के रिश्ते के इन्तिख़ाब में बेहतर यही है कि सिर्फ दौलत और उहदा न देखें दीनदारी देखें अख़्लाक देखें। नबी–ए–करीम सल्ल0 ने लड़कियों के इन्तिखाब में दीनदार औरत का मशवरा दिया है सिर्फ खूबसूरती और मालदारी के नुक्सानात बताए हैं। (इब्नि माजा) लेकिन अगर कोई माल व जाह को सामने रख कर किसी मुसलमान लड़की से निकाह करता है तो निकाह हो जाएगा इसलिए कि अल्लाह तआला ने अपनी पसन्द की औरत से निकाह करने की इज़ाज़ात दी है, देखे सूरः निसा आयत–3 (औरतों में जो पसन्द हो उससे निकाह कर लो) फिर बेहतर यही है कि निकाह में दीनदार औरत को इख़्तियार करे।

(बदायअुस्सनायेअ़: 2/117)

प्रश्न: पैगामे निकाह का मसनून तरीक़ा क्या है?

उत्तर: निकाह का पैग़ाम देने का इस्लाम में अच्छा तरीका यह है कि पैग़ाम देने वाला बालिग़ लड़का या उसका वली या करीबी रिश्तेदार, लड़की के करीबी वली को पैग़ाम भेजे लड़की की हया का लिहाज करते हुए यही तरीक़ा अच्छा है अगर्चि हुजूर सल्ल0 ने कई अज़वाजे मुतह्हरात को पैगाम दिया है अलबत्ता किसी खास वजह से लड़की या उसके वली की तरफ़ से भी पैग़ाम दिया जा सकता है। यह भी नबी करीम सल्ल0 से साबित है।

प्रश्न: क्या निकाह हर शख़्स के लिए ज़रूरी है? अगर कोई निकाह के बाद के झमेलों से बचने के लिए निकाह न करे तो क्या वह गुनहगार होगा?

उत्तर: निकाह इस्लाम में पाकीज़ा मकासिद, इन्सानी नस्ल के बाकी रखने और अच्छा समाज बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए जो शख़्स बीवी की ज़रूरियात रोटी, कपड़ा, और घर पर कुदरत रखता हो और उस को डर हो कि निकाह न करने की सूरत में गुनाह (व्यभिचार) में फंस जाएगा तो ऐसे शख़्स के लिए निकाह करना फर्ज़ है।

(बदायअुस्सनायेअ़: 2/483)

लेकिन अगर गुनाह में पड़ने का डर न हो तो निकाह करना फर्ज़ तो नहीं मगर सुन्नते मुअक्किदा है और झमेलों से बचने के लिए निकाह न करना, सुन्नते मुअक्किदा छोड़ने का गुनाह है। (रद्दुलमुख्तारः 4/65)

प्रश्न: निकाह के बारे में इस्लाम का नुक़्त–ए–नज़र (दृष्टिकोण) क्या है?

उत्तर: निकाह इस्लाम में कुछ उसूल व जवाबित की रिआ़यत करते हुए मर्द व औरत के बीच वह मुआहदा है जो इन्सानी नस्ल के बाकी रहने, आब्रू की हिफ़ाज़त, आपस के मेल महब्बत और दिल के सुकून का ज़रीआ़ है। जिस में इलाही हुक्म की तअ़मील और नबी की सुन्नत का इत्तिबाअ़ भी है, और इन्सान की अपनी फित्री ख़्वाहिशात (प्राकृतिक इच्छाओं) जाइज़ तक़ाजों की तक्मील (पूर्ति) है। इसलिए निकाह इस्लाम में एक इन्सानी समाजी ज़रूरत भी है और बेहतरीन इबादत भी।

(अलफ़िक़्हिल इस्लामी व अल्लितुहुः 9/6513)

प्रश्न: क्या दो खान्दानों के बीच रिश्ता तै हो जाने के बावजूद उस लड़की को दूसरा शख़्स पैग़ाम दे तो यह शख़्स कैसा है?

उत्तर: दो खान्दानों के बीच जब रिश्ता तै हो जाए तो किसी और के लिए उस लड़की को पैग़ाम देना नाजाइज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इससे रोका है। (बुखारी हदीस नं0 772) और अगर किसी ने अभी पैग़ाम दिया है और अभी रिश्ता तै नहीं हो सका तो दूसरा शख़्स पैग़ाम दे सकता है। (हिदायाः 5/50)।

प्रश्न: एक शख़्स ने रिहाइशी मकान के अलावा एक दूसरा मकान इस मकसद से खरीदा है कि उससे किराया हासिल किया जाए, इस मकान में एक स्कूल किराये पर चल रहा है, क्या इस मकान पर जकात वाजिब है, अगर जकात वाजिब है तो इस की अदायगी किस तरह होगी ?

उत्तर: मकान पर उस वक़्त जकात वाजिब होती है जब मकान तिजारती मकसद से खरीदा गया हो, लेकिन अगर मकान ज़रूरत से ज़्यादा हो और तिजारती मकसद न हो बल्कि किराये पर लगाना या किसी और काम में इस्तेमाल करना हो तो उस पर जकात वाजिब नहीं।

(रद्दुल मुहतार 179/3)

प्रश्न: एक शख़्स के पास कुछ बसें हैं जो किराये पर चलती हैं, सवाल है कि इन बसों की मालियत पर जकात वाजिब है या किराये पर?

उत्तर: बसों या उनकी मालियत पर जकात वाजिब नहीं होगी क्योंकि रोजी कमाने के जो आलात हैं उन पर जकात वाजिब नहीं है, फुक़्हा ने सराहत की है कि किसी के औज़ार और पेशे के आलात पर भी जकात नहीं है। (रद्दुल मुहतार 183/3) अलबत्ता इन बसों से जो किराया हासिल हो अगर वह कद्रे निसाब हो और उस पर साल गुज़र जाए तो उस पर जकात वाजिब होगी।

(फतावा हिन्दिया 167/1)

प्रश्न: क्या जकात वाजिब होने के लिये साल गुजरने की जो शर्त लगाई जाती है क्या हर तरह के माल में यह शर्त है? या बाज में, वजाहत से बताएं।

उत्तर: खेती की पैदावार और फल में साल गुज़रने की शर्त नही है बल्कि जैसे ही फसल कटे या फल तोड़े जाएं उसी वक्त उश्र निकालना वाजिब है इन के अलावा सोने चाँदी, नक्द रकम और सामाने तिजारत वगैरह में साहिबे निसाब होने के बाद उस माल पर साल गुज़रना शर्त है।

(फतावा हिन्दिया 173/1)

प्रश्न: एक शख़्स ने अपने घर के जेवरात रेहन (गिरवी) पर रख दिये हैं, दो साल गुजर चुके हैं, क्या इन जेवरात पर जकात वाजिब होगी या नहीं?

उत्तर: रेहन (गिरवी) रखी हुई चीज़ों पर ज़कात नहीं है क्योंकि ज़कात वाजिब होने के लिये जरूरी है कि माले जकात मुकम्मल तौर पर साहिबे निसाब की मिल्कियत में हो, रेहन पर रखी हुई चीजें मुकम्मल तौर पर मिल्कियत में नही होती हैं इस लिये उन पर जकात नहीं है।

(फत्हुल कदीर 221/2)

प्रश्न: जो रक़म बैंक में फिक्स डिपॉजिट के तौर पर जमा हो क्या उस पर जकात वाजिब होगी?

उत्तर: पहली बात तो यह है कि फिक्स डिपॉजिट शरअन जाइज़ नहीं है फिर भी अगर किसी ने रकम बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया है तो उस पर जकात वाजिब होगी क्योंकि उस की हैसियत अमानत की होती है और अमानत वाली रकम पर जकात वाजिब होती है।

(फत्हुल कदीर 221/2)

❖❖❖

–पिछले अंक से आगे.......

घरेलू मसायल

मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन सम्भली रह0

अनुवादः मौ0 मु0 जुबैर अहमद नदवी

इस्लाम की विरासत व्यवस्था

विरासत का मूलभूत नियमः–

जिस तरह दुनिया के अधिकांश सभ्य देशों के संविधानों में आमतौर पर कुछ नियमों को अपरिवर्तनीय और अनिवार्य मान कर ये तय कर लिया गया है कि हालात चाहे कितने ही तब्दील क्यों न हो जाएं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और न किसी वक़्ती और अस्थाई मस्लेहत से उन्हें नज़रअंदाज़ किया जा सकता है, मिसाल के तौर पर भारत को ही लीजिये, यहां के मौजूदा संविधान में ''मूल अधिकार'' की आज़ादी एक अपरिर्तनीय नियम मान लिया गया है, इसलिए जब भी कोई क़ानून बनेगा, इसका लेहाज रखा जाएगा कि वो इस नियम के विरुद्ध न होने पाये (ये अलग बात है कि संशोधन के ज़रिये ये मूल धारा ही ख़त्म कर दी जाए) और अगर किसी क़ानून से ये नियम प्रभावित होता नज़र आयेगा तो हक होगा कि सुप्रीमकोर्ट से उस क़ानून को ही ख़त्म करा दिया जाए (जैसा कि अतीत में ''प्रिवीपर्स'' के बारे में हो चुका है) बस समझना चाहिए, बिलकुल इसी तरह, बल्कि इससे भी ज़्यादा प्रबल रूप से (क्योंकि शरीयत के किसी भी अंश में संशोधन व स्थगन को किसी को अधिकार नहीं है) शरीयत के क़ानूनों में भी कुछ चीजें ''मूलभूत नियम'' की हैसियत रखती हैं, उन्हीं में से ''विरासत व्यवस्था'' (तरका के हक़दार होने में) ''अकरबियत'' वाला नियम भी है, जो निर्विवाद रूप से (सुन्नी) फिक्ह के मसलकों में सर्वसम्मत है, यानी मरने वाले का तर्क, (छोड़ी हुई चीज़ें) नियमानुसार उस व्यक्ति (और उन व्यक्तियों) को मिलेगा जो नसब के एतेबार से ज़्यादा क़रीब हों और यही तकाज़ा हर इंसान के मिजाज का होता है उसका माल उसके सबसे करीब रिश्तेदारों में जाए, अजनबियों या करीब रिश्तेदार की मौजूदगी में दूर के रिश्तेदारों में जाना किसी खास वजह के बिना कोई भी समझदार इंसान गवारा नहीं करता, और ये नियम सीधे तौर पर, कुरआन मजीद और सहीह हदीसों से बनाया गया है, कुरआन मजीद में हैः–

अनुवादः– ***''मर्दों को निर्धारित हिस्सा मिलेगा उस माल में से जो माँ–बाप या निकटतम रिश्तेदारों ने छोड़ा है इसी तरह उन औरतों को जो मैयत से ज़्यादा करीब हैं, उन्हें भी हिस्सा मिलेगा, माल चाहे कम हो या ज़्यादा।''***

(सूरह निसाः आयत–7)

इसी तरह सहीह हदीस में है–

अनुवादः– ''पहले हकदारों (जविल हुकूक) को उनके हक दो उस के बाद जो कुछ बच जाए वो ज़्यादा करीबी मर्द को दिया जाएगा।

(बुखारी–1000/2, मुस्लिम – 32/2)

इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सिर्फ उस सिद्धांत को बता देना ही काफी नहीं समझा, बल्कि उसकी कुछ तफ़सील भी बता दी, जो बिलकुल इंसानी फितरत के मुताबिक है, लिहाजा ज़्यादा करीब और ज़्यादा दूर होने का फैसला स्वाभाविक और प्राकृतिक मानक पर ही किया गया है, यानी मरने के वक़्त जो मय्यत से खानदानी रूप से ज़्यादा करीब है, उसे करीब करार दिया जो दूर है उसे दूर, और जिन अवसरों पर इंसानी अक़्ल करीब और दूर का फैसला करने में कठिनाई महसूस करती वहां स्पष्ट कर दिया कि उन में करीब कौन है और कौन दूर? (जैसे मरने वाले का बाप और बेटा) क्यों कि दोनों ही खानदानी तौर पर समान रूप से करीब ही मालूम होते हैं, इसलिए आम इंसानों के लिए फैसला करना मुश्किल होता है, तफ़सील के लिए इस विषय पर लिखी गई किताबें देखें।

❖❖❖

उसका जवाब था
नमाज़ तो हो जाती है

इं0 जावेद इक़बाल

अपने बगल में नमाज़ पढ़ते हुए नौजवान को नंगे सर देख कर मैं मन ही मन कुढ़ रहा था कि दूसरी ओर नज़र पड़ी, चार छः नौजवान ऊँची आस्तीनों की छोटी–छोटी टी–शर्ट पहने नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं ख़ुद को रोक न सका और बगल वाले नौजवान को टोक बैठा। फिर क्या था उसने मुझे घूरते हुए कहा ''नमाज़ तो हो जाती है''। उस समय किसी बहस का मौका न था, मगर मैं सोचने लगा कि शैतान ने सीधे सादे नौजवानों को किस चतुराई से अपना शिकार बना रखा है। बेशक नमाज़ हो जाती है यानी जो फर्ज है वह अदा हो जाता है मगर उस फर्ज की अदायगी पर जो अज्र या इनाम मिलने वाला था उस में कमी आ जाती है। आमाल का भी वज़न होता है। पहले ज़माने में वजन वाली इस बात को समझना दुशवार था मगर वर्तमान काल में तो बे–वजन समझी जाने वाली चीज़ों का भी वजन लिया जा रहा है, उन्हें तौला जा रहा है। विभिन्न तरह की गैसें तौली जा रही हैं, प्रदूषण नापा जा रहा है, जलजले की तीव्रता नापी जा रही है। पकवान गैस के सिलेण्डर में यदि एक–दो किलो गैस कम होती है तो हम और आप शिकायत करते हैं। मगर नमाज़ का वज़न कम करके हम अल्लाह के दरबार में भेज रहे हैं और स्वंय अपने आमाल नामे को हल्का कर रहे हैं उसकी हमें चिंता नहीं है। दुनिया में हमारी शिकायत पर सिलेंडर तो बदल कर पूरे वजन का दूसरा मिल जायगा मगर आखिरत में अपने आमाल नामे के वजन को हम कैसे बढ़ाएंगे?

यह तो हुई व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन पेश आने वाली समस्याओं से ली गई एक मिसाल। अब आइये कुरआन पाक में अल्लाह तआला के दिए गए आदेशों पर भी नज़र डाल ली जाए।

मगर इस से पहले यह भी स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि कुरआन पाक की अक्सर आयतें उस समय की किसी न किसी ज़रूरत या समस्या के समाधान की गरज से उतरी थीं लेकिन उन आयतों में दी गई हिदायतें हमेशा के लिए, रहती दुनिया तक आने वाले सभी इंसानों के लिए हैं।

शाने नुजूल के ज़रिए से कलामे इलाही को समझना सरल हो जाता है लेकिन अक्सर शाने नुजूल के पर्दे में कुरआन पाक की हिदायतों को भूतकाल (माजी) तक सीमित समझ लिया जाता है और वर्तमान काल में उसके महत्व पर ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ तो मैं यह कह रहा था कि कुरआन पाक की सूरः आराफ में अल्लाह तआला ने नमाज़ के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया है। आयत नंबर 26 में फरमाया गया है कि ऐ आदम की औलाद हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया है जो तुम्हारे गुप्तांगों को भी छुपाता है और साज सज्जा के भी काम आता है और ''तक़वा का लिबास'' यह तो सब से उत्तम है। ध्यान देने योग्य है कि इस आयत में तीन तरह के लिबास का बयान है, एक तो वह जो केवल गुप्तांगों को छुपा सकता है जैसे लंगोटी, नैकर, कच्छा आदि, दूसरे वह जो सजने संवरने के काम आता है, फिर एक तीसरा भी बयान किया गया है जिसे ''तक़वा का लिबास'' कहा गया है साथ ही यह भी बता दिया कि यह सर्वोत्तम है। स्पष्ट है कि तक़वा

का लिबास वही लिबास हो सकता है जिस में अल्लाह और उसके रसूल की पसंद शामिल होगी,इस लिबास को अल्लाह और रसूल से मुहब्बत करने वाले, उनका लिहाज करने वाले, सावधानी के साथ ज़िन्दगी गुज़ारने वाले अख़तियार करेंगे।

आगे की आयतों में आगाह (सावधान) किया गया है कि तुम शैतान के बहकावे में आ कर किसी ख़राबी/बुराई में न फँस जाना जैसा कि तुम्हारे माँ–बाप (आदम व हव्वा) उसके बहकावे में फँस कर वस्त्रहीन हो गए थे और जन्नत से निकाले गए थे। तीन चार आयतों के बाद आयत नंबर 31 में तो अल्लाह तआला ने स्पष्ट शब्दों में हुक्म दे दिया कि ऐ आदम की संतान तुम हर नमाज़ के समय अपने शरीर को संवारने का इंतजाम कर लिया करो अर्थात भला–अच्छा लगने वाला लिबास पहन लिया करो। खाओ और पियो मगर सीमा का उलंघन मत करो हद से बाहर निकलने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता।

कुरआन पाक में अल्लाह तआला ने उसूली हिदायतें बयान फरमाई हैं और उनको अमली जामा पहनाने और विस्तार से समझाने का काम रसूलुल्लाह सल० के जरिए किया गया है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने का हुक्म तो अनेक जगहों पर कुरआन में आया है मगर नमाज पढ़ने का तरीका रसूलुल्लाह सल० के द्वारा सिखाया गया है। इसी तरह नमाज के समय जीनत अख़तियार करने का हुक्म तो कुरआन में दिया गया है मगर उसका तरीका अल्लाह के रसूल के अमल को देख कर सीखा और समझा गया है।

रसूलुल्लाह सल० ने दो–एक बार को छोड़ कर (वह भी किसी विशेष परिस्थिति में) कभी नंगे सर नमाज़ नहीं पढ़ी। मजबूरी की हालत में तो केवल गुप्तांगों को छुपाने भर के लिबास में भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, मगर वे लोग जिनका मामूल सूट बूट और टाई पहनने का हो, जिनके वार्डरोब में कपड़ों के ढेर लगे हों, उनके लिए उचित नहीं कि वे नंगे सर और छोटी छोटी आस्तीन वाली टी शर्ट में नमाज पढ़ें। कितनी अजीब बात है दस बीस पचास हज़ार का मोबाइल रखने वाले लोग पचास रुपए की टोपी नहीं रख सकते। बेशक वह रख सकते हैं मगर शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह, रसूल की हिदायत से मुंह मोड़ते हैं। शैतान तो चाहता ही है कि वह इंसानों का लिबास उतरवादे, उन्हें वस्त्रहीन करदे जैसा कि उसने आदम व हव्वा के साथ किया था।

वस्त्र हीन व्यक्ति बेशर्मी बेहयाई के कामों को करने में संकोच नहीं करता और शैतान के शिकंजे में शीघ्र फंस जाता है। इस्लाम ने हर बुरे कर्म से बचाने के लिए बहुत दूर से घेरा बन्दी की है गोया बुराई की जड़ पर प्रहार किया है। मिसाल के तौर पर महिलाओं को गैर मर्दों से बात करते समय बेलोच, सपाट और संजीदा लहजा अख़तियार करने की हिदायत दी गई है, क्योंकि नर्म, शोख़ और चुलबुले अंदाज में अपरिचित व्यक्ति से बात करने के कारण उसके मन में दूषित विचार आ सकते हैं।

हमशीरा निसबती (साली) और बहनोई के मिलने जुलने पर अंकुश लगाया गया है क्योंकि वहां ग़लत राहों पर चलने और भटकने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। शराब के बारे में ख़ुद कुर्आन में फरमाया गया है कि इस में कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर शराब को हराम क़रार ठहराया गया, क्योंकि फ़ायदे के मुक़ाबले में नुकसान अधिक हैं। अब तो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जितने भी जुर्म, दंगे, फसाद, हत्या, बलात्कार हो रहे हैं सब शराब के नशे में ही अंजाम दिए जा रहे हैं।

शेष पृष्ठ ......36...पर

यूनिफॉर्म सिविल कोड से
13 मामलों पर होगा असर

(पवन कुमार)

हिन्दुओं और पारसियों के उत्तराधिकार, मुस्लिमों का बहुविवाह व विवाह की उम्र के क़ानून बदल जाएंगे

केन्द्र सरकार ने लोगों से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर राय मांगी है। जिसे लेकर देश भर में चर्चाएं शुरु हो गई हैं। कुछ ने विरोध, तो कुछ ने इसे सही ठहराना शुरु कर दिया है। लोगों के सुझावों और लॉ कमीशन की सिफारिश के आधार पर जो टेम्पलेट बना है, उसके आधार पर दैनिक भास्कर ने विधि विशेषज्ञों से बात की। उनका कहना है कि यूसीसी से लोगों पर 13 तरह के प्रभाव पड़ेंगे।

1 शादी की उम्रः— यूसीसी के टेम्पलेट में सभी धर्मों की लड़कियों के विवाह योग्य उम्र एक सामन करने का प्रस्ताव है। अभी कई धर्मों के पर्सनल लॉ और कई अनुसूचित जनजातियों में लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से कम है। अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी, जिससे वे विवाह से पहले ग्रेजुएशन कर सकें।

2 विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य :—भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व कई अन्य धर्मों में रीति—रिवाज से होने वाले विवाह को रजिस्टर्ड कराना अभी अनिवार्य नहीं है। लोग तभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब उन्हें पति—पत्नी के रूप में विदेश में जाना हो। यूसीसी में सुझाव है कि सभी धर्मों में विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके बिना सरकारी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा।

3 बहुविवाह पर रोकः— मौजूदा समय में कई धर्म और समुदाय के पर्सनल लॉ बहुविवाह को मान्यता देते हैं। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय में चार विवाह करने की अनुमति है। यूसीसी के लागू होने पर बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।

4 हलाला और इद्दत ख़त्मः— मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक़ के बाद अगर पति—पत्नी फिर से विवाह कर साथ रहना चाहें, तो मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाओं से गुज़रना होता है। यूसीसी के सुझावों को अगर क़ानून बना कर लागू किया गया तो यह सब ख़त्म हो जाएगा। इन क़ानूनों की बाध्यता नहीं रहेगी।

5 तलाक़ के नियमः— तलाक़ लेने के लिए पत्नी व पति के बीच कई ऐसे आधार हैं, जो दोनों के लिए अलग—अलग हैं। यूसीसी में सुझाव है कि पति व पत्नी के लिए तलाक़ के समान आधार लागू होने चाहिए।

6 सास-ससुर की देखरेखः— अगर पत्नी की मौत हो जाती है और सास—ससुर की देखभाल करने वाला कोई नहीं हो तो उनकी ज़िम्मेदारी व्यक्ति को उठानी होगी।

7 गोद लेने का अधिकारः— कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ अभी देश में महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। यूसीसी के कानून बनने से मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा।

8 भरण-पोषणः— पति की मौत के बाद मुआवजा राशि मिलने के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है और मृतक के माता—पिता बेसहारा रह जाते हैं। यूसीसी का सुझाव है कि अगर मुआवजा विधवा पत्नी को दिया जाता है, तो बूढ़े सास—ससुर के भरण पोषण की ज़िम्मेदारी भी उस पर होगी। अगर वह दूसरा विवाह करती है तो मुआवजा मृतक के बूढ़े माता—पिता को दिया जाएगा।

शेष पृष्ठ ...34...पर

विनम्रता और त्याग

नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

अबुल हसन खरकानी की गिनती बड़े बुजुर्गों में होती है। बादशाह महमूद गजनवी ने जब उनकी बुजुर्गी के किस्से सुने तो उनसे मुलाक़ात की चाहत हुई। कुछ दिन गुज़रे कि उसे खुरासान की ओर जाने का अवसर मिला। वहां पहुंच कर उसने सेना को पड़ाव डालने का आदेश दिया। सैनिक थोड़ा परेशान हुए कि बादशाह सलामत ने यहाँ ठहरने की जगह क्यों चुनी। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि यहां एक महत्वपूर्ण भेंट होने वाली है।

महमूद गज़नवी का शुमार इतिहास के महान योद्धाओं में होता है, लेकिन हिन्दी पद्धति में उसकी छवि विवादास्पद मानी जाती रही है। उसके धार्मिक कारण हैं। इस पर निरंतर चर्चा भी होती है कि महमूद इतना क्रूर था या कोई राजनीतिक निहितार्थ थे, जिसके कारण उसे बदनाम किया गया। ये तो इतिहास का विषय है, जिस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। लेकिन इतिहासकार शाह बलीगुद्दीन लिखते हैं कि ''कपटाचारियों और ईर्ष्यालु इतिहासकारों ने उस पर बड़े–बड़े आरोप लगाए हैं, उनमें से एक तो यह है कि उसने फिरदौसी से शाहनामा लिखवाया और फिर उसे हर शेर के बदले एक अशरफी इनाम देने से मुकर गया। उस पर दूसरा आरोप भारत पर 17 हमले करने का है। बताया ये जाता है कि हर आक्रमण सोमनाथ के मन्दिर को लूटने के लिए किया है। ये दोनों आरोप झूठे और सिरे से ग़लत हैं। वह सोमनाथ पर हमले के लिए नहीं बल्कि सिन्ध में करामता की शक्ति को तोड़ने के लिए आता था, इसके लिए उसे अब्बासी खलीफा अरब सम्राट का आदेश मिला था। (रोशनी उर्दू भाग 2,273)

बहरहाल! महमूद ने वहां पड़ाव डाल कर ये सोचा कि क्यों न हज़रत खरक़ानी को आज़माया जाए ताकि मालूम हो जाए कि वह कितने पानी में हैं। पवित्र कुरआन में एक आयत जिसका अर्थ ये है कि ''ऐ ईमान वालो! अल्लाह का आदेश मानो, रसूल की पैरवी करो और जो तुम्हारे लीडर हैं उनका हुक्म मानो। (सूरः निसा)

सुल्तान महमूद ने कहला भेजा कि यदि आप मेरे पास आएं तो आपको इस आयत की फज़ीलत हासिल है। सुल्तान के कहने का आशय ये था कि हमारी सेवा में तुरन्त हाज़िर हो जाओ।

अब एक दरवेश और एक बादशाह में ठन गई। मुक़ाबला बड़ा दिलचस्प था। सुल्तान महमूद इस भ्रम में था कि कुरआन की आयत को बीच में डाल कर वह उन्हें विवश कर देगा। हज़रत खरकानी पहुँचे हुए फ़कीर बुजुर्ग थे, उन्होंने हरकारे से कहलवाया कि महमूद को मेरा सलाम बोलना और कहना कि वह यहाँ आएं तो बड़ी खुशी की बात है, अभी तो मैं अल्लाह की इबादत में लगा हूँ, अभी रसूल का अनुसरण शेष है और सुल्तान के आदेश का अनुपालन अभी दूर की कौड़ी है।

हरकारे ने जब महमूद गज़नवी को ये जवाब सुनाया तो सुल्तान ने अपने सेवक अयाज़ को साथ लिया और हज़रत खरकानी के आस्ताने पर जा पहुँचे। यहाँ भी महमूद ने एक चाल चली कि अपने सेवक अयाज़ को अपना शाही जोड़ा पहना दिया और अयाज़ का वस्त्र खुद पहन लिया। जब दोनों वहाँ पहुँचे तो हज़रत अबुल हसन खरक़ानी ने शाही जोड़ा पहने व्यक्ति की ओर देखा तक नहीं और सेवक का वस्त्र पहने महमूद पर पूरा ध्यान दिया और कौन गुलाम और कौन बादशाह उसको पहचान गये।

महमूद ने अबुल हसन के सानिध्य में बैठ कर ढेरों नसीहतें

सुनी। इस आवसर पर सुल्तान महमूद ने उनकी सेवा में रक़म की एक बड़ी थैली श्रद्धापूर्वक भेंट की। अबुल हसन ने तुरंत अपनी झोली से सूखी रोटी के टुकड़े निकाले और बादशाह महमूद से कहा कि इसे खाओ। महमूद ने खाने की कोशिश की रोटी के टुकड़े उसके गले में अटकने लगे। अबुल हसन ने कहा कि मेरी सूखी रोटी तेरे गले में फँसती है तो तेरा तर निवाला (रक़म) मेरी हलक़ में फँसता है। ये कह कर रक़म की वह थैली लौटा दी।

महमूद ग़ज़नवी हज़रत अबुल हसन की बुजुर्गी को देख कर मोहित हो गया और बोला कि हज़रत! कोई निशानी अता हो तो करम हो। खरक़ानी साहब ने कहा, मुझ फ़क़ीर के पास तो ये गुदड़ी है, इसे ही ले जाओ। महमूद ने इस गुदड़ी को श्रद्धापूर्वक सर पर रखा और जाने हेतु खड़ा हुआ और आज्ञा चाही। हज़रत अबुल हसन ने खड़े हो कर उसे मान दिया और विदा किया। जाते–जाते सुल्तान महमूद रुका और पूछा कि हज़रत! जब मैं आया तो आप बैठे रहे और अब खड़े हो कर अलविदा कह रहे हैं? अबुल हसन ने जवाब दिया कि जब तुम यहां आए तो तुम्हारे मन में था कि फकीर हकीर होता है तो इसकी परीक्षा लो कि ये कितने पानी में है, लेकिन अब तुम्हारे मन की स्थिति बदल चुकी है और तुम्हारे मन में विनम्रता व त्याग विराजमान हो चुका है और विनम्रता अल्लाह को बहुत पसन्द है।

पहले के लोग दिल के अच्छे और मन के सच्चे थे। बादशाह हो या फ़क़ीर अधिकतर त्याग और निःस्वार्थता के प्रतिमूर्ति थे, मगर आज ऐसी बातें किस्से कहानियां लगती हैं। राजतंत्र हो या लोकतंत्र सत्ता से जुड़ी सभी जगहों पर वैभव, भोग विलास और अहंकार का कोई न कोई रूप दिख ही जाता है।

❖❖❖

पृष्ठ ...32.....का शेष

9- बच्चों की देखरेख:- माता–पिता की मौत के बाद कई लालची रिश्तेदार बच्चों के अभिभावक बन जाते हैं। वे संपत्ति हड़प कर बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। यूसीसी में सुझाव है कि अनाथ बच्चों की गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान व मजबूत बनाया जाए।

10- उत्तराधिकार कानून:- कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं है। यूसीसी में सभी को समान अधिकार का सुझाव है। अगर पारसी लड़की गैर पारसी से विवाह करती है तो उससे सभी संपत्ति व अन्य हक छीन लिए जाते हैं। हिंदू लड़कियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अन्य धर्मों में उत्तराधिकार कानूनों में बदलाव होगा।

11- जनसंख्या नियंत्रण:- यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी सुझाव है। भारत में बच्चों की संख्या के संदर्भ में कोई कानून नहीं है। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड बच्चों की संख्या सीमित करने का विरोध करते हैं। यूसीसी का सुझाव है कि बच्चे पैदा करने की संख्या सीमित की जाए। नियम तोड़ने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किया जाए, जिससे कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है।

12- बच्चों की कस्टडी:- यूसीसी ड्राफ्ट में सुझाव यह भी है कि अगर पति–पत्नी के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा है तो बच्चों की कस्टडी दादा–दादी या नाना–नानी को दी जाए।

13-लिव-इन रिलेशनशिप:-

अभी देश में लिव–इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है। लेकिन यूसीसी के टेम्पलेट में इसके रेगुलेशन का सुझाव है। अगर यूसीसी क़ानून बनता है तो लिव–इन रिलेशनशिप में रहने वालों को इसका डिक्लेरेशन करना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना लड़के और लड़की दोनों के माता–पिता को भी दी जाएगी।

❖❖❖

ख़ुदारा कुर्आन को समझ कर पढ़िए

(मुहम्मद सुजूद अल अज़ीज़ क़ासमी)

बड़े अफसोस व शर्मिंदगी की बात है कि हम मुसलमानों में से अधिकांश लोग कुरआन के पैगाम को बिल्कुल नहीं समझते। इस से बढ़ कर अफसोस की बात यह है कि इस कमी का हमें एहसास भी नहीं है, न किसी को इस पर शर्मिंदगी ही है। बेशक बगैर समझे कुरआन की तिलावत करना भी बड़ी सआदत व सवाब का काम है। लेकिन कुरआन केवल सवाब हासिल करने के लिए तो नहीं भेजा गया, कुरआन तो दर असल जिंदगी का सलीका सिखाने के लिए भेजा गया है और बगैर समझे कौन सलीक़ा सीख सकता है।

शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन रह० का वाक़िया है जब वह माल्टा की जेल से रिहा हो कर बम्बई आए तो एक रात उलमा की मजलिस में फरमाया ***''मैंने जेल की तन्हाइयों में इस पर गौर किया कि पूरी दुनिया में मुसलमान हर मामले में क्यों नाकाम हो रहे हैं, तो इसके दो कारण मालूम हुए, एक उनका कुरआन को छोड़ देना दूसरे उनके आपसी इख़तिलाफात।''***

हज़रत मौलाना महमूदुल हसन माल्टा की जेल से रिहा हो कर जून 8 सन 1920 को मुंबई पहुंचे थे, उस समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। इस वाकए को गुजरे हुए 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। गौर करें इन सौ सालों में हमारी हालत और कितनी बिगड़ चुकी है। हालात बद से बद्तर होते गए, कठिनाइयां बढ़ते बढ़ते शिखर पर पहुंच गई और अब जो हाल है वह सब के सामने है। समस्या का समाधान आज भी उसी दवा में है जो सौ साल पहले शेखुल हिंद रह० ने सुझाई थी,बल्कि आज जरूरत पहले के मुकाबले सौ गुणा अधिक है। कुरआन पाक को शब्द और अर्थ दोनों के साथ आम करने की जो हिदायत दी गई थी, वह केवल शब्दों में सीमित होकर रह गई है, हर इलाक़े में हाफिज और क़ारी तो बहुत मिल जायेंगे मगर कुरआन को समझने समझाने के क्षेत्र में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है।

सौ साल पहले ही की बात है कि बिरादराने वतन के कुछ लीडरों ने अपनी क़ौम को इस्लाम दुशमनी का एक टार्गेट दिया था उन्होंने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ शुद्धि का भी पाठ पढ़ाया था, अर्थात अपने सभी मतभेदों को भुला कर एक मक़सद को हासिल करने के लिए हिन्दुत्व के नाम पर संगठित हो जाना, दूसरे यह कि वह सभी कौमें (उनके विचार के अनुसार) जो हिन्दू धर्म छोड़ कर किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर चुकी हैं, विशेष रूप से मुसलमान, उनकी शुद्धि करके पुनः अपने धर्म में लाना, जिसे उन्होंने घर वापसी का नाम दिया है। जब से उन्होंने यह अभियान चलाया है वे निरंतर अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। यह अलग बात है कि उम्मते मुस्लिमा ने उनकी सभी कोशिशों को नाकाम करते हुए हिंदू बन जाना स्वीकार नहीं किया है। मगर इस में भी कोई शक नहीं कि कुरआन को छोड़ देने और आम लोगों तक उसके अर्थ और पैगाम को न पहुंचाने का नुक़सान क़ौमी सतह पर हम ने भुगता है। वर्तमान समय में बहुत से मुसलमान लड़के और विशेषकर लड़कियां भाग भाग कर कुफ्र का दामन थाम रही हैं उसका बुनियादी कारण कुरआन के पैगाम से नावाकिफ होना है।

कुरआन के मआनी और उसके अनुवाद की तरफ से बेतवज्जुही का एक कारण तो यह है कि अधिकांश लोगों के दिलों में यह बात बैठा दी गई है कि कुरआन के तर्जुमे और तफसीरें आम लोगों के पढ़ने की चीज नहीं हैं, ये काम तो केवल उलमा का है। मालूम होना चाहिए कि कुरआन मजीद केवल

मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए भेजा गया है। क़ुरआन किसी देवमालाई ग्रंथ की तरह की किताब नहीं है जिस को पढ़ने का अधिकार केवल पंडित जी को ही हो। इसे समझने समझाने की कोशिश हर आम व खास व्यक्ति कर सकता है। इस का यह मतलब भी नहीं है कि हर व्यक्ति क़ुरआन का अनुवाद पढ़ कर आलिम बन जाये, हां इतना जरूर है कि इसे समझ कर पढ़ने के नतीजे में हर व्यक्ति मोटी मोटी बुनियादी तालीमात को समझ सकता है। अल्लाह तआला ने क़ुरआन पाक में खुद इर्शाद फरमाया है कि ***"हमने क़ुरआन को नसीहत और इबरत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है"*** मतलब यह कि हर व्यक्ति इसे पढ़ कर इस की मूल और मोटी मोटी बातों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अगर क़ुरआन की बुनियादी तालीमात की हर मुसलमान को जानकारी हो जाए, तौहीद, रिसालत, आखरित, शिर्क तथा अन्य सामाजिक बुराइयों से वाक़फियत हो जाए तो ईमान व यक़ीन की मजबूती भी हासिल होगी और अखलाकी एतबार से सामाजिक बुराइयों में भी कमी आएगी।

मुख्य समस्या तवज्जोह और शौक़ की कमी है, जिस काम में इंसान को दिलचस्पी होती है उसे सीखने में और फिर उस पर अमल करने में घंटों ही नहीं बल्कि महीनों लगा देता है, खाने पीने की भी उसे सुध नहीं रहती। कहानी किस्से पढ़ने में दिन रात एक कर देता है यह जानते हुए कि पढ़ी जाने वाली पुस्तक काल्पनिक, झूठी घटनाओं पर आधारित है। स्पष्ट है कि क़ुरआन से दूरी और समझने की कोशिश न करना शौक़ और चाहत की कमी के कारण है। कहने को हम मुसलमान तो हैं मगर पैदाइश के आधार पर,न कि ज्ञान के आधार पर।हम मुसलमान घर में पैदा हो गए इस लिए मुसलमान बन गए, हमारा अपना प्रयास और इच्छा तो इस्लाम को सीखने समझने की बस यूं ही सी रही। अफसोस हमें इसकी चिंता भी नहीं है। जिस के कारण हमारे बच्चे बच्चियां अब कुफ्फार व मुशरिकीन का सरलतापूर्वक शिकार हो रहे हैं।

इस समय की अहम जरुरत यह है कि क़ुरआन की तिलावत के साथ साथ उसके पैगाम को समझने की कोशिश की जाए और इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों को घर घर आम किया जाए, विशेषकर नौजवान नस्ल को क़ुरआन तर्जुमे के साथ पढ़ने का शौक़ दिलाया जाए।

(मासिक अलफ़ुरक़ान से ग्रहीत)

❖❖❖

पृष्ठ ..31.....का शेष

सारांश यह कि नमाज जैसी महत्वपूर्ण इबादत की हिफाज़त हर मुसलमान का पहला कर्तव्य होना चाहिए। नमाज़ जिसे ईमान के बाद पहला फर्ज़ क़रार दिया गया है अगर उसे ही रसूलुल्लाह सल्ल० के तरीक़े पर अदा न किया गया और आप सल्ल० के निर्देशों की अवहेलना की गई तो जाहिर है कि वह बेवजन/ भारहीन क़रार पाएगी, और जितना ज़्यादा दिलजमई के साथ अच्छे तरीक़े पर अदा की जाएगी उतनी ही वज़नी होगी, अच्छे तरीक़े में लिबास के एहतमाम से लेकर खुशुअ की कैफियत तक सभी कुछ शामिल है। मगर खुशुअ का मतलब यह भी नहीं है कि हम नमाज़ के मौक़े पर इतने सूफ़ी सिफ़त बन जायें कि न सफ ख़ला–रहित बनाने का होश रहे, न छोटे छोटे बच्चों को दरमियान से हटाने की सुध रहे। आजकल यह चलन भी आम होता जा रहा है कि छोटे ना–समझ बच्चों को अपने पास सफ़ के बीच में खड़ा कर लिया जाता है जो दौराने नमाज़ अजब अजब हरकतें करते हैं और दूसरों के लिए ख़लल का सबब बनते हैं।

सूरः अलक़ारिअ– में आमाल के हल्का और भारी होने की तरफ स्पष्ट शब्दों में फरमाया गया है कि क़यामत के दिन जिस के पलड़े भारी होंगे वह उस दिन खुशहाली में होंगे और जिस के पलड़े हलके होंगे उसका ठिकाना हाविया में होगा, जोकि दहकती हुई आग की खाई है। अल्लाह ताला हमें उस से बचने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए।

❖❖❖

आज़ादी की 75 बातें

(इदारा)

1. यह आज़ादी हमारे लिए कितनी कीमती है इसे जानने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस वक़्त जब देश में मुगलों का शासन था। जहांगीर सम्राट थे।
2. 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज सूरत पहुँचा। उनके कर्मचारियों ने जहांगीर के करीब आने की कोशिशें शुरु कीं।
3. धीरे–धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस फैलाने लगी।
4. 1670 में उन्हें ब्रिटेन से उपनिवेश बनाने की इजाजत मिल गई।
5. 1757 के बाद प्लासी की जंग जीतने पर बंगाल में बिजनेस का अधिकार मिला और बक्सर जंग के बाद बंगाल पर शासन।
6. ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले यहाँ डच और पुर्तगाली भी बिजनेस के इरादे के साथ आ चुके थे लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर सकती है।
7. ब्रिटिश सरकार ने 1773 में रेग्युलेटिंग अधिनियम बनाया और कंपनी ने भारत में कामकाज का अधिकार हासिल कर लिया।
8. बंगाल में गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला नाम वोरेन हेस्टिंग्स का।
9. बॉम्बे, मद्रास के गवर्नर जनरल उनके तहत काम करने लगे।
10. कोर्ट, निदेशक मंडल और कंट्रोल बोर्ड बनने लगे।
11. 1793 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकतें और बढ़ीं और चार्टर अधिनियम आ गया।
12. फिर 1813 और 1833 में भी चार्टर एक्ट बनाए गए।
13. फिर विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने।
14. साल 1850 के आते–आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया।
15. 1857 में महान क्रांति हुई जिसे दबाने के लिए ब्रिटिश फौज को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
16. इस क्रांति को देश की आज़ादी की तरफ़ पहला क़दम माना जाता है। इसके बाद लोग अंग्रेज़ों से नफ़रत भी करने लगे।
17. 1857 की क्रांति के बावजूद भारत को आजाद होने में पूरे 90 साल लगे।
18. ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ यह पहला विद्रोह था जिसमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ।
19. इस क्रांति की शुरुआत 9–10 मई, 1857 ई0 में मेरठ से हुई फिर कानपुर, बरेली, झाँसी, दिल्ली, अवध आदि से होती हुई पूरे देश में फैल गई।
20. क्रांतिकारियों ने दिल्ली को भी कब्जे में ले लिया था।
21. लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने क्रांतिकारियों को दबाना शुरु कर दिया।
22. दो साल तक ब्रिटिश सिपाहियों को कहीं न कहीं से चुनौती मिलती रही। लक्ष्मीबाई, तात्पा टोपे, नाना साहेब, मंगल पाण्डे सबके हीरो बन गये।
23. इस क्रांति को दबा देने के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया।
24. भारत सरकार का गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा। सीधे ब्रिटिश सरकार से उसकी नियुक्ति होती थी।
25. लॉर्ड केनिंग पहले वायसराय बने ।
26. भारतीय दण्ड संहिता 1860 तैयार की गई। यहां के लोगों को एक कानून के दायरे में लाने की कोशिश थी।
27. आज़ादी की पहली क्रांति के बाद लोगों के मन में यह साफ होने लगा कि देश का क्या मतलब है और हमें किससे आज़ादी चाहिए। ज़रूरत थी उस जोश को दिशा देने की।
28. आने वाले वक़्त में कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन अहम हैं।
29. इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दायरा देश में फैलता जा रहा था और वहां ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई।

30. भारत के बाज़ार विदेशी कपड़ों और सामान से पटने लगे। देसी कामकाज ठप होने लगा।
31. साल 1850 के बाद देश में स्वदेशी का प्रेम पैदा होने लगा। विदेशी सामान छोड़ अपने देश के सामान और यहां बुने कपड़े को तरजीह देने की भावना जाग गई।
32. आगे चल कर खादी को बढ़ावा मिला। शुरुआत में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मुहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी आदि भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक होने लगे। बाद में महात्मा गांधी ने भी इसे जन आंदोलन बना दिया।
33. महात्मा गांधी ने जनता से ब्रिटेन में बने सामान, कपड़े ओर मसालों का बहिष्कार करने की बात कही।
34. यही स्वदेशी आंदोलन देश में आज़ादी पाने का आंदोलन बन गया। चरखा एक संकेत बन गया और खादी जरिया।
35. भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुख देव जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को अपना दम दिखाया लेकिन महात्मा गांधी की राह अलग थी।
36. एक तरफ़ हिंसक क्रांति हो रही थी तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी के पैदल मार्च और अनशन। देश एकजुट होता रहा।
37. महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को शुरु हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जनता कूद पड़ी।
38. कुछ जगह लोगों ने अंग्रेजी शासन को ठुकरा कर अपनी खुद की समानांतर सरकारें कायम कर लीं।
39. साल 1944 तक ब्रिटिश सरकार ने पूरी ताक़त झोंक दी। जनता पर काफी हिंसा हुई।
40. ब्रिटिश हुकूमत को समझ आ गया कि अब भारत के लोग किसी भी कीमत पर आजादी चाहते हैं।
41. 1943 में सुभाष चंद बोस ने सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का ऐलान किया।
42. फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत से जुड़ी अहम बात कही।
43. एटली ने कहा, 30 जून 1948 से पहले भारत आज़ाद होगा।
44. भारत में आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान बंटवारे का प्लान पेश किया।
45. 3 जून 1947 को शाम 7 बजे दो अलग देश का औपचारिक ऐलान हुआ।
46. मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रजी में भाषण दिया और पाकिस्तान जिंदाबाद कहा।
47. बंटवारे की बात पर सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ने लगा।
48. महात्मा गाँधी 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए अनशन पर थे।
49. नेहरू और सरदार वल्लभ पटेल ने उन्हें चिट्ठी भेजकर पहले स्वाधीनता दिवस समारोह में बुलाया।
50. जवाब आया, 'जब कलकत्ता में हिंदू–मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, मैं जश्न मनाने कैसे आ सकता हूँ?
51. 14 अगस्त 1947 की आधी रात नेहरू ने भाषण दिया।
52. मानसून का महीना था। बारिश हो रही थी। संसद के सेंट्रल हॉल में यह भाषण 'ट्रिस्ट विद डेस्टनी' गूंज उठा।
53. उन्होंने कहा, 'बहुत सालों पहले हमने नियति से एक वादा किया था। वह वक़्त आ गया है कि हम उस वादे को निभाएं। शायद पूरी तरह तो नहीं लेकिन बहुत हद तक ज़रूर। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत आजादी की सांस ले रहा है।'
54. जैसे ही घड़ी के 12 बजे, शंख बजाये जोन लगे। सबकी आँखें खुशी से भीग रही थीं।
55. सुचेता कृपलानी ने वहां 'सारे जहां से अच्छा' और 'वंदे मातरम' गाया।
56. भारत और पाकिस्तान आज़ाद तो थे लेकिन एक नहीं थे।
57. आजादी के साथ ही 560 रियासतें भारत का हिस्सा बनीं।
58. हैदराबाद रियासत सबसे बाद में जुड़ी।

59. गोवा 1961 में भारत में शामिल हुआ।
60. जन गण मन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान बना।
61. तिरंगे झंडे का वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया।
62. संविधान में दिये गये मूल अधिकार हमें देते हैं असली आजादी। स्वतंत्रा संग्राम के दौरान भी इस बात पर जोर दिया जाने लगा था कि जनता के अधिकार सबसे अहम होते हैं।
63. आज़ादी का अधिकार। यहां आजादी का मतलब है चिंतन, अभिव्यक्ति और काम करने की आज़ादी। बिना किसी को नुकसान पहुँचाए और कानून तोड़े कोई भी शख्स अपनी आज़ादी का भरपूर फायदा उठा सकता है।
64. संविधान हमें धार्मिक आज़ादी भी देता है। जैसी जिसकी आस्था हो वह उसके हिसाब से धर्म चुन सकता है। अपने धर्म का पालन कर सकता है, आचरण कर सकता है।
65. संविधान के मुताबिक, हर धर्म को बराबर माना गया है।
66. संविधान के अनुच्छेद–14 में बताया गया है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। लिंग, जाति, धर्म या फिर क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद–15 भेदभाव और अनुच्छेद–17 छुआछूत रोकता है।
67. खुल कर बोलने की आजादी– अनुच्छेद–19 हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। इसके तहत हर नागरिक अपने विचार रख सकता है प्रेस की आज़ादी भी इसी अनुच्छेद से मिलती है। यह बेहद अहम अधिकार है। इसकी वजह से ही लोग शांतिपूर्ण धरना–प्रदर्शन कर सकते हैं
68. हमारी ज़िंदगी, हमारा मान– अनुच्छेद–21 राइट टु लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन और स्वच्छंदता का अधिकार देता है। इसका दायरा भी काफी बड़ा है। जीवन के अधिकार में मान–सम्मान और गरिमा के साथ जीने का हक मिलता है। सेहत का अधिकार भी इसमें शामिल है।
69. जीवन के हक का दायरा– जीवन के अधिकार का दायरा क्या है? इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि किसी नागरिक को मिले जीवन और आजादी के हक को यूं ही नहीं छीना जा सकता। अगर क़ानून के तहत ऐसा होता है तो भी वह निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत होना चाहिए।
70. अगर मूल अधिकार छिन जाएं–सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। अगर किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह शख्स निचली अदालत में नहीं जा सकता बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अनुच्छेद–32 और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद–226 का सहारा ले सकता है। अगर मामला जनहित से जुड़ा है तो अनुच्छेद–32 और 226 के तहत जनहित याचिका (PIL) दाखिल की जा सकती है।
71. एक चिट्ठी भी बन सकती है PIL:– साल 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम लोगों के अधिकारों को नकार नहीं सकते। मामला लोकहित से जुड़ा हो तो कोई भी अदालत में आ सकता है। अदालत न आ सके तो चिट्ठी लिख सकता है।
72. आज़ादी तब तक ही है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें।
73. साल 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और अनुच्छेद–51ए के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गये। 86वें संशोधन में कर्तव्यों की संख्या बढ़ा दी गई।
74. हमारी ड्यूटी है कि संविधान सहित सभी राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बरकरार रखें।
75. देश की रक्षा के लिए ज़रूरत पड़ने पर खुद आगे आएं। भाईचारा बनाए रखें। पर्यावरण, नदी, जंगल की रक्षा करें।

(सशुक्रिया नव भारत टाइम्स, लखनऊ)

❖❖❖

स्वास्थ्य

कब्ज़ से चाहिए छुटकारा तो दूध के साथ खाएं ये चीज़ें

डॉ0 पूनम तिवारी

आज–कल खराब लाइफस्टाइल के कारण बहुत से लोगों को कब्ज की समस्या हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए लोग कई उपाय करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी कुदरती चीजें हैं जिनका दूध के साथ सेवन किया जाए तो काफी आराम मिलेगा। एक नज़र–

दूध और किशमिशः–

किशमिश में भी भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ कब्ज को दूर करने में मदद करती है। दूध में किशमिश को उबाल लें और रात को सोने से पहले इन दोनों का सेवन करें। ऐसा नियमित करने से पेट साफ होगा।

दूध और घीः–

दूध शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। घी के साथ इसके सेवन से कब्ज की समस्या में तो राहत मिलेगी ही बल्कि पेट भी स्वस्थ रहेगा। इन दोनों का सेवन करने के लिए रात को हल्के गर्म दूध में 1 चम्मच घी को डाल कर मिक्स करें। अब उसे पी लें। दूध पेट को साफ करने में मदद करेगा और घी हड्डियां मजबूत करेगा।

दूध और चिया सीड्सः–

दूध और चिया सीड्स दोनों ही शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चिया सीड्स में फाइबर भरपूर होता है, जो कब्ज को दूर करने के साथ पेट को साफ रखता है। इनके सेवन के लिए दूध में चिया सीड्स को मिला कर सेवन करें।

दूध और गुड़ः–

दूध और गुड़ शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है। इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होने के साथ पेट हेल्दी रहता है। कब्ज दूर करने के लिए दूध में गुड़ को डाल कर पिया जा सकता है। गुड़ खाने से पेट में गैस नहीं बनती है। साथ ही इससे पेट भी साफ रहता है। रात में गुनगुने दूध के साथ गुड़ का सेवन करना चाहिए।

दूध के साथ मुनक्का और गुड़ का सेवन कब्ज दूर करने में काफी कारगर होता है। अगर आपको कोई बीमारी या एलर्जी है तो डॉक्टर की सलाह पर ही सेवन करें।

दूध और मुनक्काः–

दूध और मुनक्का बहुत फायदेमंद होता है। दूध में मुनक्का उबाल कर पीने से कब्ज की समस्या दूर होती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। इन दोनों के सेवन से पेट साफ होता है। मुनक्के में मौजूद फाइबर पेट को हेल्दी रखने में मदद करता है।

(डायटिशन, आर0एम0एल0आई0, लखनऊ)

अपने पाठकों से

- हम आपके पत्रों की प्रतीक्षा में रहते हैं।
- हम आपके सुझाओं का स्वागत करते हैं।
- हम लिखने वालों से अनुरोध करते हैं कि वह अपने मूल्यवान निबन्धों से हमारा सहयोग करें।
- आप हिन्दी भाषियों को ''सच्चा राही'' पढ़ने का मशवरा दें।
- आप ''सच्चा राही'' के ग्राहक बना कर ''सच्चा राही'' को सहयोग दें।
- आप अपनी आवश्यक दीनी समस्याएं लिखें हम उनके हल लिख कर ''सच्चा राही'' में प्रकाशित करेंगे।

आप अपने लेख भेजने के लिए उप सम्पादक के नं0 9450784350 का प्रयोग करें।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

अबू मोहम्मद आमिर नदवी

2050 तक विश्वभर में 1.30 अरब लोग हो सकते हैं डायबीटिकः—

वर्तमान में दुनिया भर में 50 करोड़ लोग डायबीटीज से पीड़ित हैं। 'द लैंसेट' में प्रकाशित एक विश्लेषण में यह दावा किया गया कि अगले 30 साल में हर देश में डायबीटीज पीड़ितों की संख्या में इजाफ़ा होने का अंदेशा है, जो दोगुनी हो कर 1.30 अरब तक पहुँच सकती है। मुख्य लेखक एवं यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के स्कूल ऑफ मेडिसिन में इंस्टिट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स ऐण्ड इवैलुएशन (आईएचएमई) में मुख्य शोध विज्ञानी लियान ओंग ने कहा कि जिस गति से डायबीटीज के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है वह न केवल चिंताजनक है बल्कि दुनिया में प्रत्येक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए चुनौतीपूर्ण भी है। शोधकर्ता ने कहा कि लगभग सभी वैश्विक मामलों में 96% मामले ''टाइप 2'' मधुमेह (टी2डी) के हैं। ओंग ने ''ग्लोबल बर्डेन ऑफ डिजीज'' (जीबीडी) 2021 अध्ययन का इस्तेमाल किया और 1990 एवं 2021 के बीच 204 देशों में उम्र एंव लिंग के आधार पर डायबीटीज के प्रसार, रोगियों की संख्या और इससे मृत्यु का अध्ययन किया तथा 2050 तक डायबीटीज की स्थिति का आकलन किया।

ट्रक ड्राइवरों के लिए ज़रूरी होगा AV केबिनः—

ऑटो कंपनियों को जल्द ही ट्रकों के अंदर एयर कंडीशनर लगाने होंगे। साल 2025 से ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशंड केबिन ज़रूरी हो सकता है। सरकार ने यह फैसला देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत कम करने, लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नेगेटिव असर को कम करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए लिया है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह घेषणा की है।

''गवर्नर ऑफ द ईयर'' से सम्मानित हुए दासः—

आर.बी.आई गवर्नर शक्तिकांत दास को ''गवर्नर ऑफ द ईयर'' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उन्हें यह सम्मान दिया है। दास ने रिजर्व बैंक का गवर्नर पद संभालने के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं। हाल ही में उन्होंन दो हज़ार रूपये के नोटों को चलन से बाहर करने का एक बड़ा फैसला लिया है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग की इंटरनैशनल इकॉनामिक रिसर्च जर्नल है।

जब ताबूत से आई आवाज़, ज़िन्दा हूँः—

दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश इक्वेडॉर में 76 साल की महिला की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बेला मोंटाया नाम की इस महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी थी। तभी ताबूत के अंदर खटखट की आवाज़ हुई। उसे खोला तो लोग सन्न रह गये। मरी हुई महिला ज़िन्दा हो कर फिर उठ खड़ी हुई। घटना बाबाहोयो शहर की है। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया था।

❖❖❖

नदवतुल उलमा
पोस्ट बाक्स न0 93, टैगोर मार्ग,
लखनऊ -226007 (भारत)

ندوۃ العلماء
پوسٹ بکس ۹۳۔ ٹیگور مارگ
لکھنؤ۔ ۲۲۶۰۰۷ (الہند)

दिनांक 01/08/2023

تاریخ

स्टॉफ़ क्वाटर्स की तामीर के लिए अपील

अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा हज़रत मौलाना सैय्यद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी दामत बरकातुहुम, नाज़िम नदवतुल उलमा की सरपरस्ती में अपनी इल्मी व दीनी, तालीमी व तरबियती ख़िदमत अंज़ाम दे रहा है, दारुल उलूम और उसकी ब्रांचों में इल्मी तालीमी सिलसिला बराबर जारी है, टीचर्स व स्टॉफ अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं, टीचर्स व स्टॉफ की अधिकता की वजह से दारुलउलूम में उनके रहने की गुंजाइश नहीं रही तो दारुल उलूम के मेन कैम्पस के अलावा माहद सिकरौरी में स्टॉफ क्वाटर्स और माहद के करीब नदवा कालोनी की तीन मंज़िला बिल्ड़िंग तामीर हुई, मगर अब भी स्टॉफ के लिए क्वाटर्स की कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है, इस सूरते हाल की वजह से नदवा मेन कैम्पस से करीब मुहल्ला मकारिम नगर में कुछ और स्टॉफ क्वाटर्स बनाने का फैसला किया गया है, और अल्लाह तआ़ला की मदद के भरोसे पर यह तामीर शुरु कर दी गयी है।

नये स्टॉफ क्वाटर्स की यह बिल्डिंग तीन मंजिला होगी, जिसमें 9 फेमली क्वाटर्स होंगे, इसकी तामीर पर 1,15,00000/– (एक करोड़ पंद्रह लाख) रूपये के खर्च का अंदाज़ा है, जो इंशाअल्लाह अहले खैर हज़रात के सहयोग से पूरा होगा।

हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अहम ज़रूरत की ओर फौरन तवज्जोह फरमायेंगे और नदवतुल उलमा के कारकुनों का हाथ बटायेंगे।

मौलाना जाफर मसऊद हसनी नदवी
नाजिरे आ़म नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) तक़ीउद्दीन नदवी
मोतमद तालीम नदवतुल उलमा

डॉ0 मुहम्मद असलम सिद्दीक़ी
मोतमद माल नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) सईदुर्रहमान आज़मी नदवी
मोहतमिम नदवतुल उलमा

नोटः चेक/ड्राफ्ट पर केवल यह लिखेंः
NADWATUL ULAMA
और इस पते पर भेजेंः
NAZIM NADWATUL ULAMA
Nizamat Office, Nadwatul Ulama.
Tagore Marg, Lucknow-226007 (UP)

बरा–ए–करम अतियात भेजने के बाद रसीद हासिल करने के लिए न0 **8736833376** पर इत्तिला ज़रूर करें।

नदवतुल उलमा
STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH, LUCKNOW
(IFSC: SBIN0000125)
–ःतअ़मीरः–
A/C No. 10863759733

नोटः नदवतुल उलमा, लखनऊ को दिये गये चन्दे को **Section 80G income Tax act 1961**के तहत छूट प्राप्त होगी।
Online Donation Link: https://www.nadwa.in.donation/ Website: www.madwa.in, Email: nizamat@nadwa.in

RNI No. UPHIN/2002/07945
Regd. No. SSP/LW/NP-491/2021 To 2023
Dispatch Date :1 & 5
Published of 27th Advance Month
Dispatch: R.M.S Charbagh, Lucknow

MONTHLY
SACHCHA RAHI
Vol. 22 - Issue 06

Office Timing : 7:30 AM To 1:15PM
Tel.:(0522) 2740406
ISSN No. : 2582-4007
http://sachcha-rahi.nadwa.in
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com

R.K. Clinic Research CENTRE

R. K. CLINIC
& RESEARCH CENTRE
Dr. Mohammad Fahad Khan
M.D.
विशेषज्ञ
पेट एवं उदर रोग, श्वास एवं चेस्ट रोग, एण्ड्रोक्रायोनोलोजी एवं मधुमेह रोग
24 HOURS EMERGENCY SERVICES AVAILABLE
G-1, Aman Apartments, Chaupatiyan, Opp. Power House, Lucknow
Ph.: 0522-2651950, 9415006983

DESIGNED BY SAAD HAMDAMWALA © 9860448783

Printed & Published by Mohammad Taha Athar, Tagore Marg, Badshah Bagh, Lukcnow - 7
on behalf of Majlis-e-Sahafat-wa-Nashriyat at Kakori Offset Press, BN Varma Road, Lucknow - 3